

अध्याय 5

सरकारी विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

5.1 तकनीकी शिक्षा विभाग

विशिष्टताएं

तकनीकी शिक्षा राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तकनीकी शिक्षा विभाग, उद्योगों के साथ अन्य सैक्टरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर को सम्मिलित करते हुए अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानवशक्ति प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा ने प्लानिंग, वित्तीय प्रबंध स्कीमों के कार्यान्वयन में त्रुटियां तथा कक्षाओं, छात्रावासों, डिस्पेन्सरियों आदि हेतु अपर्याप्त मूलभूत संरचना प्रकट की। विभाग का ध्यान की अनिवार्य आवश्यकता वाले अनेक चिंता के क्षेत्र एवं मामले है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

पॉलीटेक्निकों द्वारा तुरन्त आवश्यकता के बिना आहरित ₹ 14.53 करोड़ की राशि सरकारी लेखे से बाहर रही।

(अनुच्छेद 5.1.8.2)

2007-12 के दौरान एक अभियांत्रिकी कॉलेज को निर्मुक्त ₹ 27 करोड़ के सहायता अनुदान में से ₹ 12.22 करोड़ की राशि (45 प्रतिशत) अप्रयुक्त पड़ी थी।

(अनुच्छेद 5.1.8.3)

विद्यार्थियों को ₹ 17.17 लाख का अनुरक्षण भत्ता उनके हकदारी के आधिक्य में दिया गया था।

(अनुच्छेद 5.1.9.3)

फैकल्टी विकास कार्यक्रम के लिए प्रदान किए गए ₹ 3.09 करोड़ की राशि अतिथि अध्यापकों को वेतन के भुगतान के प्रति विपथित किए गए थे

(अनुच्छेद 5.1.9.4)

अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा तथा डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा के प्रवेश के लिए प्री-एडमिशन प्रशिक्षण के लिए ₹ 15.88 करोड़ की राशि उचित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना निर्मुक्त कर दिए गए थे। विभाग द्वारा अल्प मानीटरिंग ने अनेक चूकें सुसाधित की जिससे सर्विस प्रदाता को लाभ हुआ।

(अनुच्छेद 5.1.9.8)

विभाग ने बंद हुए व्यवसायिक संस्थाओं के टीचिंग स्टाफ की सेवाएं उपयोग के लिए कोई प्लान तैयार नहीं की थी।

(अनुच्छेद 5.1.11.3)

5.1.1 प्रस्तावना

तकनीकी शिक्षा राज्य तथा देश के पूर्ण रूप से सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु भरपूर योगदान देती है। तकनीकी शिक्षा विभाग (टी.ई.डी.) तकनीकी शिक्षा के चहुंमुखी विकास तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेवार है। यह अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मसी, आर्कीटेक्चर, होटल प्रबंधन तथा प्रायोगिक आर्ट तथा क्राफ्टस के क्षेत्रों में तथा स्नातकोत्तर/पूर्व स्नातक तथा डिप्लोमा द्वारा तकनीकी प्रबंधक/वैज्ञानिक/इंजीनियर/कुशल व्यावसायिक तैयार करता है।

5.1.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार (पी.एस.), तकनीकी शिक्षा विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष है तथा तकनीकी शिक्षा से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। महानिदेशक (डी.जी.) विभाग के अध्यक्ष तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी है तथा मुख्यालयों पर दो अपर निदेशकों, चार संयुक्त निदेशकों तथा तीन उप-निदेशकों द्वारा सहायता की जाती है। सरकारी पोलिटैक्नीकों के प्रिंसिपलों को क्षेत्र में विभाग की नीतियों/योजनाओं को कार्यान्वित करना होता है। विभाग ने 13 प्लान तथा 8 नॉन-प्लान योजनाएं कार्यान्वित की (परिशिष्ट 5.1)। राज्य में 11 सरकारी पोलिटैक्निक्स, 12 सरकारी पोलिटैक्निक्स सोसायटीज, 4 सरकारी सहायता प्राप्त पोलिटैक्निक्स तथा 158 प्राइवेट पोलिटैक्निक्स हैं। निदेशालय के अतिरिक्त, विभाग के विभिन्न कार्यों के प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित शीर्ष समितियां भी बनाई गई थी:

हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसायटी: सरकार ने, समयबद्ध पद्धति में प्रवेश प्रक्रिया की पूर्ति तथा प्रवेश के लिए पारदर्शी तथा एकरूप नीतियों के कार्यान्वयन के लिए सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसायटी (सोसायटी) बनाई गई थी (मार्च 2007)

सोसायटी स्वयंपोषी है तथा काउंसलिंग तथा एग्जामिनेशन फीस से अपने खर्च पूरा करती है। यदि आवश्यक हो तो, यह प्रवेश परीक्षा संचालित करती है, तथा विभिन्न दारखिलों के लिए आनलाइन काउंसलिंग संचालित करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा अनुमोदित विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पेपररहित दारखिले करने के लिए सोसायटी एक नोडल एजेंसी है।

हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एच.एस.बी.टी.ई.): एच.एस.बी.टी.ई., पॉलिटैक्निक्स में तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास सहित आफिलिएशन, पाठ्यक्रम विकास तथा परीक्षा के लिए 2008 में बनाई एक सांविधिक निकाय है।

राज्य फीस कमेटी: प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सभी तकनीकी कोर्सों के फीस ढांचे को विनियमित करने के लिए एक राज्य फीस कमेटी बनाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निदेश (अगस्त 2003) दिए थे। तदनुसार, सरकार द्वारा

उच्च न्यायालय के वर्तमान दो जजों से समायुक्त एक तदर्थ राज्य फीस कमेटी बनाई गई थी। नियमित कमेटी का गठन अभी भी प्रक्रियाधीन था। प्राइवेट तकनीकी संस्थाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, इसलिए, हरियाणा प्राइवेट व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा संस्था (प्रवेश का विनियमन तथा फीस का निर्धारण) बिल 2012 तैयार किया गया था जो सरकार के विचाराधीन था (जून 2012)।

5.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सी.सी.ओ. आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने हेतु थे कि:

- विद्यमान स्कीमों/कार्यक्रमों के उद्देश्यों के सुपुर्दगी के निबंधनों के कारगर आयोजना तथा कार्यक्रम प्रबंधन;
- विभाग में विद्यमान आर्बिटित प्राथमिकताओं के संदर्भ में दक्ष वित्तीय प्रबंध तथा संसाधन इष्टतमतः उपयोग किए गए थे;
- कौशल उन्नयन के लिए कर्मचारियों की संस्वीकृति, नियोजन तथा प्रशिक्षण के निबंधनों में मानव संसाधनों का दक्ष प्रबंधन विद्यमान था;
- प्रापण तथा मालसूची नियंत्रण हेतु कारगर प्रक्रिया विद्यमान थी; तथा
- उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावलियों सहित पर्याप्त प्रावधान तथा मानीटरिंग विद्यमान थी।

5.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्न स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- पंचवर्षीय योजना प्रलेख तथा विभाग की वार्षिक कार्ययोजनाएं।
- समय-समय पर जारी की गई सरकारी अधिसूचनाएं तथा निर्देश।
- राज्य में यथा लागू पंजाब बजट मैनुअल/पंजाब वित्तीय नियमों/पंजाब ट्रेजरी नियमों के प्रावधान।
- तकनीकी शिक्षा पर ए.आई.सी.टी.ई. मार्गनिर्देश।
- विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं।

5.1.5 लेखापरीक्षा अनिवार्यता, कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

विभाग के साथ-साथ हरियाणा राज्य काउंटिंग सोसायटी तथा एच.एस.बी.टी.ई. की मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सी.सी.ओ.) आधारित लेखापरीक्षा, इसके समग्र कार्यचालन को आवृत्त करते हुए, 2007-12 अवधि हेतु, राज्य स्कीमों तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.ज) के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा सहित,

डी.जी., तकनीकी शिक्षा विभाग तथा चयन किए गए 10 (32 प्रतिशत) राजकीय बहुतकनीकियों (राजकीय: 4, सोसायटीज: 4 सहायता प्राप्त: 1 तथा इंजीनियरिंग कालेज: 1) (परिशिष्ट 5.2) के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना-जांच द्वारा की गई (जनवरी-जून 2012)। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्तें) अधिनियम, 1971 की धाराएं 13 एवं 23 के अंतर्गत की गई थी।

लेखापरीक्षा आरंभ करने से पूर्व, लेखापरीक्षा उद्देश्य, मापदण्ड तथा लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, प्रधान सचिव (पी.एस.), तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ चर्चित किए गए थे (मई 2012)। लेखापरीक्षा निष्कर्ष, अभिलेखों की संवीक्षा, लेखापरीक्षा ज्ञापन एवं प्रश्नावलियां जारी करके उपलब्ध डाटा के विश्लेषण तथा विभिन्न स्तरों पर विभागीय कार्यकारियों के उत्तर प्राप्त करने के पश्चात्, निकाले गए थे। लेखापरीक्षा परिणाम, पी.एस., तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ, दिसंबर 2012 में आयोजित एक्जिट कांफ्रेंस में चर्चित किए गए थे तथा सरकार के विचार, प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर सम्मिलित कर लिए गए हैं।

5.1.6 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा के लिए सूचना तथा अभिलेख प्रदान करने में तकनीकी शिक्षा विभाग तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के सहयोग के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

5.1.7 प्लानिंग

राज्य के अंदर तथा बाहर दोनों उपलब्ध अवसरों के उपयोग तथा आवश्यक निपुणता प्राप्त करने के लिए युवा को योग्य बनाने तथा पोस्ट स्कूल स्टेज पर मानव संसाधनों में कुशलता विकसित करने के विचार से विभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में स्थापित लक्ष्यों के संदर्भ में अपनी गतिविधियां प्लान की। वार्षिक प्रोग्राम तैयार किए गए थे जिनमें विभिन्न गतिविधियों के लिए लक्ष्य निश्चित किए गए थे तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बजट अनुमान तैयार किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्लान, संस्थाओं से फीडबैक तथा तकनीकी मानव शक्ति की संदर्शी मांग संबंधी किसी सर्वे पर आधारित नहीं थी। विभाग, मांग को ध्यान में रखे बिना ही नए पोलिटैक्निकस की इमारतों के निर्माण पर विशाल निधियां व्यय कर रहा था क्योंकि वर्तमान पोलिटैक्निकस में बृहद् संख्या में सीटें खाली रही। विभाग ने मूलभूत संरचना के सृजन पर विशाल निधियां व्यय की लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कुछ ठोस नहीं किया गया था। अधिकांश संस्थाएं मुख्यतः अतिथि अध्यापक नियुक्त कर चलाए जा रहे थे क्योंकि विभाग अध्यापन स्टाफ की कमी का सामना कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप पास प्रतिशतता, ड्रॉपआउट्स आदि कम हो गए थे जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं। इस प्रकार, विभाग में उपयुक्त प्लानिंग की कमी थी।

5.1.8 वित्तीय प्रबंध तथा बजटीय नियंत्रण

बजट प्रत्येक विभाग के लिए वार्षिक वित्तीय ऐजेंडा स्थापित करता है तथा वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसीलिए यह, अनिवार्य है कि बजट तैयारी सही सावधानी तथा कर्मिष्ठता से चिन्हित है। सही ढंग से प्रतिपादित बजट लक्ष्यों के विरुद्ध व्यय की प्रगति की मॉनीटरिंग करना एक महत्वपूर्ण प्रबन्धन निरीक्षण कार्य है घटिया बजटीय नियंत्रण के परिणामस्वरूप ना केवल अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अकुशल प्रयोग होता है बल्कि संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धियों में भी बाधा डालता है।

5.1.8.1 बजट प्रावधान तथा व्यय

राज्य द्वारा अपनाए गए पंजाब बजट नियमावली के अनुच्छेद 5.3 में जैसा कि निर्धारित किया गया है साधारण व्यय का बजट अनुमान यथा संभव सही फ्रेम किया जाना चाहिए। व्यय की सभी मदें जो पूर्व ज्ञात की जा सकती हैं, सही उप-शीर्षों के अन्तर्गत शामिल तथा प्रावधान किया जाना चाहिए। गत पांच वर्षों के दौरान बजट प्रावधान तथा व्यय की स्थिति तालिका 1 में दी गई है:

तालिका 1: 2007 - 12 के दौरान बजट प्रावधान तथा व्यय दर्शाने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक बजट	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के संदर्भ में आधिक्य (+) / बचत (-) (प्रतिशत)
2007-08	144.91	112.82	112.95	(-) 22.06
2008-09	156.24	234.27	234.66	(+) 50.19
2009-10	287.61	206.23	206.38	(-) 28.24
2010-11	239.09	261.48	195.26	(-) 18.33
2011-12	222.47	254.30	254.32	(+) 14.32

स्रोत: विनियोजन लेखे।

मूल बजट तथा वास्तविक व्यय में भिन्नताएं (-) 22.06 प्रतिशत तथा (+) 50.19 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने अपने बजट प्रबलता से संशोधित किए। बजट, मुख्यतः ट्रेनिंग कार्यक्रमों, एस.सी. श्रेणियों के लिए विशेष घटक, एस.सी. विद्यार्थियों को स्टाइपेंड, छोटू राम पॉलीटेक्नीक, रोहतक, वैश्य तकनीकी संस्थान, रोहतक, यंगमैन्ज क्रिश्चियन एसोसिएसन (वाई.एम.सी.ए.), फरीदाबाद को अनुदान की कम निर्मुक्ति, गैर सरकारी तकनीकी कालेजों तथा संस्थाओं आदि को सहायता के अंतर्गत बचतों के कारण संशोधित करना पड़ा। नए सरकारी पॉलीटेक्निक्स की स्थापना के कारण 2008-09 में वास्तविक व्यय बजट से बढ़ गया।

5.1.8.2 सरकारी लेखे से बाहर निधियों का रखना

पंजाब वित्तीय नियमों के अनुच्छेद 2.10 (बी) (5) जैसा कि राज्य में लागू है प्रावधान करता है कि ट्रेजरी से कोई धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह तुरन्त वितरण के लिए अपेक्षित न हो। आगे, वित्त विभाग ने दोहराया (मार्च 2009) कि राज्य की समेकित निधि से धन

आहरित करने के बाद किसी भी रूप में सरकारी लेखों से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी आहरण तथा संचितरण अधिकारियों (डी.डी.ओज) जरूरत की अग्रिम में ट्रेजरी से विभिन्न स्कीमों से संबंधित निधियां आहरित की थी तथा इनको बैंक खातों में रखा। चार डी.डी.ओज के संबंध में ₹ 14.53 करोड़ राशि की निधियां ब्याज सहित 31 मार्च 2012 (परिशिष्ट 5.3) को बैंक खाते में पड़ी थी। ₹ 6.78 करोड़¹ की राशि छः चालू खातों में पड़ी थी। आवश्यकता के अग्रिम में निधियों को आहरण तथा इसको बैंक खातों में रखना वित्तीय नियमों के उल्लंघन में था।

आगे, अव्ययतीत शेषों के बारे में कारणों को जानने के लिए अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विशेष स्कीमों के अन्तर्गत पड़े पिछले शेषों को ध्यान में रखे बिना निधियां आहरित की गई थी। विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं के पास अव्ययित निधियों की स्थिति तालिका 2, 3 एवं 4 में वर्णित है:

तालिका 2: विशेष घटक अनुसूचित जाति योजना

(₹ लाख में)

संस्था का नाम	वर्ष	आरंभिक शेष	निर्मुक्त निधियां	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	शेष
राजकीय बहुतकनीकी नीलोखेड़ी	2008-09	शून्य	260.00	260.00	95.93	164.07
	2009-10	164.07	190.00	354.07	151.76	202.31
	2010-11	202.31	शून्य	202.31	36.61	165.70
	2011-12	165.70	शून्य	165.70	102.02	63.68
राजकीय महिला बहुतकनीकी फरीदाबाद	2008-09	शून्य	147.60	147.60	124.76	22.84
	2009-10	22.84	189.96	212.80	60.41	152.39
	2010-11	152.39	शून्य	152.39	40.37	112.02
	2011-12	112.02	शून्य	112.02	39.14	72.88

तालिका 3: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

(₹ लाख में)

संस्था का नाम	वर्ष	आरंभिक शेष	निर्मुक्त निधियां	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	शेष
राजकीय पॉलीटैक्नीक नीलोखेड़ी	2009-10	शून्य	145.00	145.00	72.95	72.05
	2010-11	72.05	960.00	1032.05	1010.97	21.08
	2011-12	21.08	1964.80	1985.88	1487.18	498.70
राजकीय महिला पॉलीटैक्नीक फरीदाबाद	2008-09	शून्य	3.86	3.86	3.86	शून्य
	2009-10	शून्य	347.00	347.00	163.62	183.38
	2010-11	183.38	284.14	467.52	459.58	7.94
राजकीय पॉलीटैक्नीक झज्जर	2009-10	शून्य	174.00	174.00	173.99	0.01
	2010-11	0.01	240.00	240.01	239.81	0.20
	2011-12	0.20	300.00	300.20	162.73	137.47

¹ आदमपुर: ₹ 173.67 लाख, नीलोखेड़ी: ₹ 42.57 लाख, फरीदाबाद: ₹ 74.47 लाख, ₹ 322.70 लाख, ₹ 45.19 लाख तथा झज्जर: ₹ 19.30 लाख।

तालिका 4: हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसायटी द्वारा छात्रवृत्ति/स्टाइपेंड/प्रोत्साहन

(₹ लाख में)

संस्था का नाम	वर्ष	आरंभिक शेष	निर्मुक्त निधियां	उपलब्ध कुल निधियां	व्यय	शेष
राजकीय पॉलीटेक्नीक नीलोखेड़ी	2009-10	शून्य	634.22	634.22	247.13	387.09
	2010-11	387.09	शून्य	387.09	294.49	92.60
	2011-12	92.60	शून्य	92.60	58.06	34.54

लेखापरीक्षा ने हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसायटी में देखा कि संस्था को, निधियां वास्तविक आवश्यकता निर्धारित किए बिना जारी की गई थी।

उपर्युक्त के अलावा, वर्ष 2011-12 के दौरान प्रत्येक महीने के अंत में संस्थाओं के पास मुख्य कैश बुकों में भारी नकद शेष थे।

संस्था का नाम	(₹ लाख में)
राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी	₹ 38.95 लाख तथा ₹ 58.61 लाख के बीच श्रृंखलित
राजकीय बहुतकनीकी, झज्जर	₹ 3.68 लाख तथा ₹ 47.07 लाख के मध्य श्रृंखलित

2008-12 के दौरान वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर राजकीय बहुतकनीकी सोसायटी, मानेसर के पास संवरण शेष ₹ 20.03 लाख तथा ₹ 406.37 लाख के बीच श्रृंखलित थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, तथ्यों का स्वीकारते हुए, पी.एस. ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्टाफ को निर्देश दिए।

5.1.8.3 सहायता अनुदान

विभाग, विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि को सहायता अनुदान निर्मुक्त करने हेतु भी जिम्मेवार है। 2007-12 के दौरान निर्मुक्त किए गए सहायता अनुदानों के विवरण तालिका 5 में दिए गए हैं:

तालिका 5: 2007-12 के दौरान निर्मुक्त किए गए सहायता अनुदानों के विवरण

कालेज/विश्वविद्यालय का नाम	निर्मुक्त किए गए सहायता अनुदान (₹ करोड़ में)					
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
गुरु जम्नेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	11.00	11.00	10.60	20.00	35.00	87.60
दीनबन्धु छोटाराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल	प्लान	12.00	13.00	15.00	25.00	90.00
	नॉन प्लान	5.10	7.86	10.04	10.05	44.53
वाई.एम.सी.ए., फरीदाबाद	5.14	7.51	9.06	5.62	6.23	33.56
चौधरी देबीलाल इंजीनियरिंग कालेज, पन्नुवाला मोटा (सिरसा)	6.00	4.00	5.00	6.00	6.00	27.00
योग	39.24	43.37	49.77	66.67	83.71	282.69

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

पंजाब वित्तीय नियमों का नियम 8.14 (ए) (3) प्रावधान है कि विभाग को किसी सार्वजनिक निकाय या संस्था को अनुदान संस्वीकृत करने से पहले लेखापरीक्षित विवरणी पर यथा संभव बल दिया जाना चाहिए यह देखने के लिए कि सहायता अनुदान ग्रांटी की वित्तीय स्थिति द्वारा न्यायोचित है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पिछला अनुदान प्रयोजन जिसके लिए यह अभीष्ट था के लिए व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2007-12 के दौरान चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कालेज, पन्नुवाला मोटा (सिरसा) को निर्मुक्त किए गए ₹ 27 करोड़ के सहायता अनुदान में से तालिका 6 दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 12.22 करोड़ (45 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त पड़ी थी।

तालिका 6: अप्रयुक्त सहायतानुदान के विवरण

(₹ लाख में)

संस्वीकृति का वर्ष	पिछले वर्ष का शेष	वर्ष के दौरान संस्वीकृत	उपलब्ध कुल निधियां	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष की समाप्ति पर शेष
2007-08	(-) 21.59	600	518.41	278.62	299.79
2008-09	299.79	400	699.79	258.48	441.31
2009-10	441.31	500	941.31	321.95	619.36
2010-11	619.36	600	1219.36	256.83	962.53
2011-12	962.53	600	1562.53	340.32	1221.21
कुल		2700		1456.20	

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

सहायता अनुदान में से बचतें या तो सरकार को रिफंड की जानी अपेक्षित थी या भावी मांगों की निर्मुक्ति में समायोजित की जानी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि अव्ययित राशि न तो सरकार को रिफंड की गई थी और न ही भावी मांगों में समायोजित की गई थी। ₹ 14.43 करोड़ राशि की ट्यूशन फीस भी का योग बनाते हुए बैंक खातों में कालेज के पास पड़ी थी।

विभाग ने सहायता अनुदान निर्मुक्त करते समय पिछले वर्षों के दौरान संस्था द्वारा किए गए व्ययों को ध्यान में नहीं रखा तथा आगे अनुदानों की निर्मुक्ति जारी रखी परिणामतः भारी निधियों का संचय हुआ।

एग्जिट काफ्रैस के दौरान, पी.एस. ने बताया कि सरकारी खातों में संगृहीत फीस क्रेडिट करने हेतु इस संस्थान के अलावा दूसरे बहुतकनीकियों (शत प्रतिशत सहायता प्राप्त) को निर्देश जारी किए गए थे। सहायता अनुदान में से निधियों के संचयन के संबंध में यह बताया गया था कि संस्थान द्वारा विकासशील गतिविधियों को नहीं की जा सकी थी तथा इस प्रकार अव्ययित शेष संचित हो गए थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि यदि विभाग ने संस्था के पास उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखने के बाद सहायता अनुदान निर्मुक्त किया होता तो निधियों के संचय से बचा जा सकता था।

5.1.8.4 अस्थाई अग्रिमों का असमायोजन

अस्थाई अग्रिम, का अवसर जिसके लिए अग्रिम दिए गए थे के तुरंत बाद समायोजित किए जाने चाहिए। किसी भी मामले में, इसे अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत करने हेतु अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह देखा गया कि संस्थाएं स्टूडेंट निधि में विनिर्दिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए स्टूडेंट निधि से अस्थाई अग्रिम दे रही थी। संबंधित स्टाफ द्वारा अग्रिम दी गई निधियों में से किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाना तथा अव्ययित शेष यदि कोई है तो वापिस किया जाना अपेक्षित था। नमूना-जांच किए गए सात जिलों में, यह देखा गया कि ₹ 61.70 लाख (परिशिष्ट 5.4) के अग्रिम के विरुद्ध समायोजन बिल संबंधित स्टाफ द्वारा मार्च 2012 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने सूचित किया कि आहरण के एक महीने के भीतर अग्रिम समायोजित करने हेतु आदेश जारी कर दिए गए थे।

5.1.8.5 मार्च के महीने के दौरान व्यय का वेग

वर्ष के दौरान व्यय समान रूप से वितरित किए जाने चाहिए तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय के वेग को टालना चाहिए। नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि नमूना-जांच की गई संस्थाओं में वर्ष के अंतिम महीने के दौरान औसत व्यय 21 प्रतिशत था, जिनमें से सबसे ज्यादा राजकीय पॉलीटेक्नीक नीलोखेड़ी में था जहां यह 2007-12 (परिशिष्ट 5.5) के दौरान कुल व्यय का 17 तथा 54 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित था।

छः² संस्थाओं के मुख्यों ने बताया (मार्च-जून 2012) कि व्यय का वेग, मुख्यतः प्रत्येक वर्ष फरवरी-मार्च में सरकार द्वारा निधियों की निर्मुक्ति के कारण था। इसने सरकार द्वारा निधियों की निर्मुक्ति में दोषपूर्ण प्रणाली को सूचित किया। लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि सरकार को मार्च के महीने में व्यय के वेग को टालने के लिए सारा वर्ष निधियों की समान रूप से निर्मुक्ति की प्रणाली सरल एवं कारगर बनानी चाहिए।

5.1.9 स्कीमों का कार्यान्वयन

5.1.9.1 राज्य में नए बहुतकनीकियों के संस्थापन में विलंब

राज्य सरकार की नीति के अनुसार, कम से कम एक नया बहुतकनीकी प्रत्येक जिले में खोला जाना था। तदनुसार, राज्य सरकार ने 22 नए बहुतकनीकी संस्थापित करने हेतु योजना बनाई तथा ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में ₹ 115 करोड़ का प्रावधान किया गया था। 13 बहुतकनीकियों का निर्माण कार्य ₹ 198.73 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन से लिया गया था। ₹ 124.25 करोड़ की राशि कार्यकारी एजेंसियों को निर्मुक्त कर दी गई थी। इसमें से ₹ 108.43 करोड़ का व्यय जून 2012 तक किया गया था। 13 में से सात बहुतकनीकियों के भवन मई 2011 तक पूरा किए जाने लक्ष्य थे लेकिन केवल तीन बिल्डिंग पूरी की गई थी (जून 2012)। चार बहुतकनीकियों का निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर था मार्च 2012 को विलंब 10 से 20 महीनों के बीच श्रृंखलित था। शेष

छः बहुतकनीकियों का भवन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया था (परिशिष्ट 5.6)। डी.जी. ने बताया (दिसंबर 2012) कि विलंब लोक निर्माण विभाग की ओर से थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्य जिसके लिए आरंभिक राशियां पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी थी, को पूरा करवाने हेतु मामले को अनुसरित किया जाना चाहिए था।

5.1.9.2 अनुसूचित जाति छात्रावासों का निर्माण

राज्य सरकार ने चिन्हित किया था कि शैक्षणिक मैरिट आधारित मापदण्ड पर छात्रावास सुविधाओं के

² राजकीय बहुतकनीकी: (i) आदमपुर, (ii) झज्जर, राजकीय बहुतकनीकी सोसाइटी: (iii) नाथुसरी चोपटा, (iv) नरवाना, (v) लोहारू तथा (vi) छोटूराम बहुतकनीकी, रोहतक।

आबंटन की प्रक्रिया में, अनेक अनुसूचित जाति (एस.सी.) विद्यार्थी छात्रावास सुविधाओं से वंचित किए गए थे। इसीलिए, सरकार ने एस.सी. विद्यार्थियों के लिए अलग छात्रावासों के निर्माण हेतु निर्णय किया। इन छात्रावासों में, प्राथमिकता एस.सी. विद्यार्थियों को दी जानी थी। अवधि 2007-12 के दौरान,

12³ नए छात्रावास निर्मित किए जाने थे। ₹ 74.92 करोड़ की राशि विभाग द्वारा निर्मुक्त की गई थी। इनमें से 10 छात्रावास अक्टूबर 2010 तक पूरे किए जाने थे तथा दो छात्रावास अप्रैल-जून 2013 तक पूरे किए जाने थे। तथापि, ऐसे आठ छात्रावास पूर्ण कर दिए गए थे (मार्च 2012)। लोहारू तथा उतावड़ में स्थित दो छात्रावासों का निर्माण कार्य क्रमशः 34 तथा 30 महीने की देरी के बाद भी पूरा नहीं किया गया था।

डी.जी. ने बताया (जुलाई 2012) कि देरी लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) की ओर से थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभाग को एस.सी. विद्यार्थियों को अभिप्रेत सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करवाने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के साथ मामले को अनुसरित करना चाहिए था।

5.1.9.3 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम

पोस्ट मैट्रिकुलेशन या पोस्ट सैकडरी स्टेज पर पढ़ रहे एस.सी. विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने योग्य बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से जी.ओ.आई. द्वारा स्कीम शुरू की गई थी (2003)। स्कीम को मापदण्ड में आने वाले सभी एस.सी. विद्यार्थियों को रख-रखाव भत्ते, अपंग एस.सी. विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त भत्ता, स्कालरज द्वारा दी गई फीस का रिफंड, स्टडी टूर प्रभार, थिसिस टाइपिंग, प्रिंटिंग प्रभार, डिसटेन्स शिक्षा तथा बुक बैंक सुविधाओं सहित पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए वार्षिक भत्ते के रूप में सहायता प्रदान करना था।

अभिलेखों की नमूना-जांच ने आगे निम्नलिखित कमियां प्रकट की:

● अनुरक्षण भत्ता

अनुरक्षण भत्ता चार समूहों में श्रेणीबद्ध था तथा भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विवरण तालिका 7 में दिए गए हैं।

तालिका 7: अनुरक्षण भत्ते की दरें

ग्रुप	पाठ्यक्रम	अनुरक्षण भत्ते की दर (₹ प्रति माह)	
		छात्रावासी	गैर-छात्रावासी
ग्रुप - i	डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पाठ्यक्रमों	740	330
ग्रुप - ii	दूसरे व्यवसायिक तथा तकनीकी ग्रेजुएट तथा ग्रुप - i में शामिल न किए गए पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पाठ्यक्रम	510	330
ग्रुप - iii	ग्रेजुएट तथा उससे ऊपर डिग्री तक ले जाने वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम	355	185
ग्रुप - iv	ग्रेजुएशन से पहले सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तर पाठ्यक्रमों जैसे कक्षाएं 10+2 सिस्टम तथा मध्यवर्ती परीक्षा में कक्षाएं xi तथा xii	235	140

³ (i) आदमपुर, (ii) & (iii) अंबाला: 2, (iv) झज्जर, (v) हिसार, (vi) लोहारू, (vii) मानेसर, (viii) नाथुसरी चोपटा, (ix) नीलोखेड़ी, (x) सिरसा, (xi) सोनीपत तथा (xii) उतावड़।

चूँकि सभी राजकीय बहुतकनीकी गुप iv के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों को चला रहे थे, छात्रावासियों तथा गैर छात्रावासियों को क्रमशः ₹ 235 तथा ₹ 140 पर अनुरक्षण भत्ता भुगतान योग्य था। राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी में 2007-10 के दौरान गुप-11 पर लागू दरों पर ₹ 510 तथा ₹ 330 पर विद्यार्थियों को अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया जाना था। दावे प्रिंसीपल, राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी द्वारा तैयार किए गए थे तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, करनाल द्वारा अनुमोदित किए गए थे। दरों के इस गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप 2007-10 के दौरान ₹ 17.17 लाख की राशि का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, तथ्यों को स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि राशि की वसूली मुश्किल थी क्योंकि विद्यार्थियों ने संस्थाएं छोड़ दी थी तथा अपनी जॉब आदि के सिलसिले में दूसरे स्थानों पर जा चुके होंगे तथा लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति के बाद किए गए भुगतान स्कीम के गुप IV में विनियमित किए गए थे। तथापि, विभाग द्वारा अधिक भुगतान हेतु कोई जिम्मेदारी निश्चित नहीं की गई थी।

• बुक-बैंक सुविधा

सभी मान्यता प्राप्त कालेजों/संस्थाओं में इस स्कीम के अंतर्गत बुक-बैंक स्थापित किए जाने थे। नमूना-जांच की गई नौ संस्थाओं में से, छः⁴ संस्थाओं ने यह सुविधा अपनी संस्थाओं में प्रदान नहीं की थी। आगे, राजकीय महिला बहुतकनीकी फरीदाबाद में, 351 विद्यार्थियों में से केवल 177 को पुस्तकें प्रदान की गई थी जबकि 174 विद्यार्थी इस सुविधा से वंचित थे। इस प्रकार, नमूना-जांच की गई संस्थाओं में विद्यार्थियों को दी गई सुविधा नगण्य थी। यह देखा गया कि यद्यपि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त निधियां उपलब्ध थी, फिर भी बुक बैंक सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, तथ्यों को स्वीकार करते समय, पी.एस. ने आश्वासन दिया कि सुविधा उन्नत की जाएगी तथा बुक बैंक में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 10 सेट्स प्रदान करने हेतु स्टाफ को निर्देश दिया।

5.1.9.4 संकाय विकास कार्यक्रम

वर्तमान संकाय सदस्यों को उनकी उच्चतर अध्ययन अर्थात् एम.ई./एम.टेक, पी.एच.डी. आदि जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। स्कॉलरशिपस एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान 50 फ़ैकल्टी सदस्यों को दी जानी थी। इसके अतिरिक्त, लघु अवधि/दीर्घावधि ट्रेनिंग पाठ्यक्रमों/सेमिनारज/वर्कशॉपस, कांफ्रेंस भी आयोजित किए जाने थे। यह देखा गया कि परियोजना के अंतर्गत ₹ 3.09 करोड़ की राशि नमूना-जांच की गई संस्थाओं के निपटान पर रखी गई निधियां अतिथि अध्यापकों के वेतन के भुगतान करने के लिए प्रयुक्त की गई थी (परिशिष्ट 5.7)। निधियां, जिस प्रयोजन के लिए ये स्वीकृत की गई थी, के लिए प्रयुक्त नहीं की गई थी तथा अनभिप्रेत प्रयोजन के प्रति विपथित कर दी गई थी।

⁴ (i) आदमपुर, (ii) झज्जर, (iii) लोहारू, (iv) मानेसर, (v) नाथूसरी चोपटा तथा (vi) रोहतक।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने वेतन शीर्ष से अतिथि अध्यापकों को भुगतान करने हेतु निर्देश दिए थे (दिसंबर 2012) तथा स्कीम की निधियां केवल स्कीम से संबंधित गतिविधियों पर व्यय किए जाने चाहिए।

5.1.9.5 एस.सी. विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबों की आपूर्ति

“निःशुल्क किताबों की आपूर्ति” स्कीम के अंतर्गत एस.सी. विद्यार्थियों को निर्धारित किताबों, संदर्भ किताबों, आदि की लागत प्रतिपूरित की जानी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 7.40⁵ करोड़ के बजट प्रावधान के बावजूद 2007-12 के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े एस.सी. विद्यार्थियों को पुस्तकें आपूरित नहीं की गई थी। 2008-09 के दौरान प्रदान की गई ₹ 6.40 करोड़ की समग्र निधियां मार्च 2009 में “एस.सी. छात्रावासों के निर्माण” के प्रति विपथित की गई थी तथा सरकार द्वारा विनियमित की गई थी। किताबों की अनापूर्ति के कारण, आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को स्कीम के लाभों से वंचित कर दिए गए।

डी.जी. ने बताया (अप्रैल 2012) कि पाठ्यक्रम के संभावित परिवर्तन के कारण, 2008-09 के दौरान क्रय प्रक्रिया रोक दी गई थी तथा प्रक्रिया मार्च 2011 में पुनः आरंभ की गई थी जो अंतिमकृत नहीं की गई थी (मार्च 2012)। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, पी.एस. ने विभागीय अधिकारियों को सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिए कि जनवरी 2013 तक चल रहे सत्र के लिए किताबें उपलब्ध थीं।

5.1.9.6 सामुदायिक कालेज तथा अध्यापकों की सक्षमता उन्नति हेतु राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के सहयोग से सितंबर 2010 में सरकार द्वारा स्कीम अनुमोदित की गई थी। स्कीम के अनुसार, एक सामुदायिक कालेज तथा अध्यापकों की सक्षमता उन्नति हेतु एक राष्ट्रीय संस्थान संस्थापित किए जाने थे। ये संस्थान एक पंजीकृत सोसायटी द्वारा चलाए जाने थे। राज्य सरकार तथा इग्नू ने सोसायटी को चलाने के लिए मूलधन के रूप में प्रत्येक ने ₹ एक करोड़ अंशदत्त किए। सोसायटी अक्टूबर 2010 में पंजीकृत की गई थी तथा राजकीय पोलिटेक्निक शैक्षणिक सोसायटी, मानेसर के टीचिंग ब्लॉक में कार्य आरंभ कर दिया। बिल्डिंग ₹ एक प्रतिवर्ष के टोकन लीजरेन्ट पर सोसायटी को प्रदान की गई थी।

अध्यापकों की सक्षमता प्रगति संस्थान की स्थापना के उद्देश्य मुख्यतः थे:

- प्री सर्विस तथा इन सर्विस अध्यापकों को प्रशिक्षण देना;
- प्रारम्भिक बाल शिक्षा, प्राइमरी, अपर प्राइमरी तथा कालेज तथा युनिवर्सिटी अध्यापकों के लिए शार्ट टर्म सर्टीफिकेट स्तर कार्यक्रम डिजाइन करना;

⁵ 2008-09: ₹ 6.40 करोड़, 2010-11: ₹ 50 लाख तथा 2011-12: ₹ 50 लाख।

- प्रशासन, स्कूल लीडरशिप तथा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; तथा
- सामुदायिक कालेजों पर विशेष बल से प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण।

यह देखा गया कि अध्यापकों का सक्षमता प्रगति संस्थान शुरू नहीं किया गया था (जून 2012)। संस्थान स्थापन का उद्देश्य अनुपलब्ध रहा।

सामुदायिक कालेज केवल 48 सदस्यों के साथ दो पाठ्यक्रम चला रहा था। शार्ट टर्म सर्टिफिकेट लेवल कोर्सों के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं बनाया गया था। सोसायटी द्वारा, इग्नू को, आठ पाठ्य कार्यक्रम आरंभ करने हेतु प्रस्ताव किया गया था जो कार्यान्वित भी नहीं किया गया था।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, तथ्यों को स्वीकार करते समय पी.एस. ने बताया कि संस्थान इग्नू से असम्बद्ध कर दिया गया था क्योंकि सहयोग सफल सिद्ध नहीं हुआ तथा मूलभूत संरचना जल्दी ही प्रयोग की जाएगी।

5.1.9.7 रोजगार अभिमुख संस्थान/ट्रेनिंग प्रोग्राम

स्कीम का लक्ष्य युवाओं के मध्य, औद्योगिक रोजगार हेतु उन्हें सुसज्जित कर बेरोजगारी कम करने उद्योग के विभिन्न ट्रेड्स में निपुण कार्मिकों का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करना तथा ड्राइविंग स्कूलों, पैरा-मैडीकल, आटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग आदि जैसे क्षेत्रों में शार्ट टर्म पाठ्यक्रमों के माध्यम से एस.सी. सदस्यों को ट्रेनिंग देना भी था। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 2008-09 में ₹ चार करोड़ संस्वीकृत किए तथा राशि निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग के निपटान पर रखी। राशि विभाग द्वारा आहरित की गई (मार्च 2009) तथा प्रिंसीपल, राजकीय महिला बहुतकनीकी, मोरनी (पंचकुला) के पास जमा कर दी गई। टारगेट समूहों, कार्यकारी एजेसी, कार्यान्वयन पद्धति, पाठ्यक्रमों की प्रकृति तथा अवधि, प्रमाणीकरण आदि संबंधी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश मार्च 2010 में अंतिमकृत किए गए। निधियां, कार्यान्वयन एजेसियों को जनवरी 2010 (₹ 0.50 करोड़) तथा मार्च 2010 में (₹ 3.50 करोड़) निर्मुक्त कर दी गई थी। इतने में राशि प्रिंसीपल के बैंक खाते में रही तथा ₹ 10.45 लाख की राशि ब्याज के रूप में अर्जित की गई जिसमें, से विभाग ने ₹ 0.57 लाख स्कीम पर व्यय किए तथा ₹ 9.88 लाख अभी भी प्रिंसीपल के बैंक खातों में पड़ी थी। आगे, ₹ 76.45 लाख (₹ 5.81 लाख ब्याज सहित) की राशि की निधियां जुलाई 2012 तक 11 बहुतकनीकियों के पास अव्ययित रही। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि स्कीम की रूपात्मकताएं तथा तुरंत आवश्यकता अंतिमकृत किए बिना आहरित की जो वित्तीय नियमों तथा औचित्य के विरुद्ध था।

स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नीति के प्रतिपादन में विलंब के परिणामस्वरूप कौशल विकास पाठ्यक्रमों को आरंभ करने में विलंब हुआ तथा विद्यार्थियों को स्कीम के लाभ से वंचित किया।

5.1.9.8 एस.सी. विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता/नियोजन के लिए विशेष कोचिंग

इंजीनियरिंग अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.) तथा डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (डी.ई.टी.) 2008 तथा 2009 में प्रवेश लेने वाले हरियाणा के एस.सी. विद्यार्थियों को कोचिंग देने के लिए रूचि की

अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) प्रेस नोटिस के माध्यम 8 दिसंबर 2007 को डी.जी., तकनीकी शिक्षा द्वारा आमंत्रित की गई थी। आवेदक एजेसियों को निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करने थे:

- इस एरिया में कम से कम तीन वर्ष जरूर होनी चाहिए।
- कम से कम 500 विद्यार्थियों को समान प्रकृति का प्रशिक्षण जरूर दिया गया होना चाहिए।
- कम से कम ₹ 25 लाख प्रतिवर्ष का वित्तीय टर्नओवर जरूर होना चाहिए।
- योग्य तथा निपुण फौकल्टी अवश्य होनी चाहिए।
- चंडीगढ़/हरियाणा/दिल्ली के किसी या सभी जिला मुख्यालयों पर प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए।

बोलियां दो भागों में प्राप्त की जानी थी यानि तकनीकी बोलियां तथा वित्तीय बोलियां। विज्ञापन की अनुक्रिया में, बोलियां सात⁶ एजेसियों से प्राप्त की गई थी। गीता प्रबंधन संस्थान को छोड़कर, सभी एजेसियों को 21 जनवरी 2008 को अपर निदेशक (परीक्षा), संयुक्त निदेशक (विकास), संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग) तथा लेखा अधिकारी से समायुक्त कमेटी के सामने प्रस्तुतिकरण देने के लिए कहा गया था। स्कीम अनुमोदित करते समय, पी.एस. वित्त विभाग ने भी विभाग को यह सुनिश्चित करने हेतु सलाह दी कि कोचिंग के लिए लगाई गई एजेसी का पिछली प्रवेश परीक्षाओं में सफलता दर के निबंधन में एक अच्छा ट्रेक रिकार्ड होना चाहिए तथा केवल न्यूनतम कोटेशन के अनुसार नहीं जाना चाहिए।

निम्नतम निविदादाता होने के कारण, डी.ई.टी./अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.) पाठ्यक्रम 2008 तथा डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (डी.ई.टी.)/ए.आई.ई.ई.ई. 2009 संचालित करने के लिए मास्टरमाइंड क्लासिज (एम.एम.सी.), चंडीगढ़ को कार्य आर्बिट⁷ किया गया था (मार्च 2008)। तदनुसार, 11 मार्च 2008 को सर्विस प्रोवाइडर के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया गया। ए.आई.ई.ई.ई./डी.ई.टी. 2008 में प्रवेश के लिए पहला पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद, उपस्थिति आधारित तथा रैंक आधारित भुगतान क्लॉज शामिल करते हुए 20 जून 2008 को समझौता संशोधित किया गया था। दो वर्षीय पाठ्यक्रम कार्यक्रम भी शामिल किया गया था। संशोधित समझौते के अनुसार, सर्विस प्रोवाइडर को फोकस क्लैश पाठ्यक्रम (एफ.सी.सी.) (ए.आई.ई.ई.ई./डी.ई.टी.) के लिए: ₹ 2,500 प्रति विद्यार्थी, एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रोग्राम (ओ.वाई.सी.पी.) (ए.आई.ई.ई.ई./डी.ई.टी.): ₹ 12,500 अध्ययन सामग्री के बिना तथा ₹ 15,500 अध्ययन सामग्री के साथ प्रति विद्यार्थी तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रोग्राम (टी.वाई.सी.पी.) (ए.आई.ई.ई.ई.): ₹ 25,000 अध्ययन सामग्री के बिना तथा ₹ 28,000 अध्ययन सामग्री के साथ प्रति विद्यार्थी भुगतान किए जाने थे। कोसर्वेयर की

⁶ (i) पी.सी.ई.एस. शिक्षा नई दिल्ली, (ii) एम.एस.सी. प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़, (iii) आई.आई.टी.एस. नई दिल्ली, (iv) प्रतियोगी परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय केंद्र एम.डी.यू. रोहतक, (v) गीता प्रबंधन संस्थान कुरुक्षेत्र, (vi) एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर तथा (vii) साहिल स्टडी सर्कल चंडीगढ़।

⁷ डी.ई.टी./ए.आई.ई.ई.ई. 2008: ₹ 2500 प्रति विद्यार्थी, डी.ई.टी./ए.आई.ई.ई.ई. 2009: ₹ 15,500 प्रति विद्यार्थी अध्ययन सामग्री के साथ तथा ₹ 12,500 अध्ययन सामग्री के बिना (सेवा कर अतिरिक्त)।

लागत छोड़ते हुए पाठ्यक्रम का 50 प्रतिशत भुगतान कोचिंग के दौरान निर्मुक्त किया जाना था तथा शेष प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त रैंक से जुड़ा था।

कार्य को देने तथा कान्ट्रैक्ट समझौते से संबंधित अभिलेखों ने निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट की:

(ए) कान्ट्रैक्ट की प्रदानगी

मास्टरमाइंड क्लासिज की तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली दस्तावेजी प्रमाण जैसे तीन वर्षीय अनुभव प्रमाण-पत्र, बैलेंस शीट, आदि के साथ समर्थित नहीं थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुभव तथा टर्नओवर के संबंध में बोलीदाता के पात्रता मानदंड पूर्ण नहीं थे। आगे बोलीदाता के पास सेवा कर पंजीकरण संख्या नहीं थी जिसने इंगित किया कि यह नई कंपनी थी। यह देखा गया था कि मास्टर माइंड क्लासिज, मास्टरमाइंड क्लासिज (एम.एम.सी.), ग्वालियर की फ्रेंचाइज थी। बोलीदाता द्वारा इंगित किया टर्नओवर एम.एम.सी. ग्वालियर का था न कि एम.एम.सी. चण्डीगढ़ का। इस प्रकार, एम.एम.सी. चण्डीगढ़ बोली की मूलभूत शर्तें पूरी नहीं कर रही थी।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि एम.एम.सी., ग्वालियर, एम.एम.सी. चण्डीगढ़ का कारपोरेट आफिस था तथा फ्रेंचाइज समझौते के अनुसार अध्ययन सामग्री तथा तकनीकी जानकारी देने का आश्वासन दिया था, इस प्रकार एम.एम.सी., चण्डीगढ़ को योग्य माना गया।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ई.ओ.आई. में स्पष्टतः उल्लिखित था कि सर्विस प्रोवाइडर के पास अपेक्षित योग्यताएं होनी चाहिए। इस मामले में, बोली दाता के पास अन्य जरूरतों के साथ अनुभवी योग्यता प्राप्त टीचिंग स्टाफ नहीं था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों ने सिद्ध नहीं किया कि ई.ओ.आई. प्रस्तुत करने की तिथि पर एम.एम.सी. चण्डीगढ़ के पास योग्यता प्राप्त टीचिंग स्टाफ था। तथ्य, कि एम.एम.सी. चण्डीगढ़ के पास सेवा कर पंजीकरण संख्या नहीं थी, यह प्रमाणित करता है कि यह नई कंपनी थी।

(बी) कान्ट्रैक्ट समझौते में कमियां

i) समझौता दिनांक 14 मार्च 2008, जून 2008 में संशोधित किया गया था तथा दो वर्षीय कार्यक्रम प्रथम पाठ्यक्रम का निष्पादन मूल्यांकित किए बिना शामिल किया गया था। करार अनुबंध के अनुसार समझौता पूरा करने में विफलता के मामले में हानि को आवृत करने के लिए न तो कोई शास्ति धारा और न ही कोई सुरक्षा जमा समाविष्ट किया गया।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि बेहतर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, कि समझौते में उपस्थिति तथा रैंक आधारित भुगतान के लिए प्रावधान जोड़ने हेतु यह उपयुक्त समझा गया था। तदनुसार, उस समय प्रचलित समझदारी के अनुसार इन प्रावधानों के साथ संशोधित समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि निष्पादन आधारित भुगतान शास्ति धारा को आवृत नहीं किया।

ii) लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि समझौता अपर जिला न्यायवादी (ए.डी.ए.) या किसी अन्य विधि प्राधिकारी से वैट नहीं करवाया गया था। विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि यह तर्कसंगत था कि ए.डी.ए. द्वारा वैटिंग बेहतर होती (लेकिन केवल अनिवार्य) तथा इस मामले में सक्षम अधिकारी ने

संशोधित समझौते को अनुमोदन देने हेतु उपयुक्त माना। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि समझौता दस्तावेजों की कानूनी तरिके से जांच करवाई जानी हमेशा बेहतर होती है।

iii) विभाग उम्मीदवारों को आपूरित की जाने वाली सामग्री के विवरण विनिर्दिष्ट किए बिना क्रमशः एक वर्षीय पाठ्यक्रम कार्यक्रम तथा एफ.सी.सी. की पाठ्यक्रम सामग्री के लिए ₹ 3,000 तथा ₹ 500 की राशि भुगतान करने हेतु सहमत हो गया। इस प्रकार, सर्विस प्रोवाइडर किसी तरह की सामग्री आपूरित करने के लिए स्वतंत्र था।

(सी) पाठ्यक्रम – वार अनियमितताएं

सर्विस प्रोवाइडर ने अप्रैल 2008 से मार्च 2011 के दौरान पांच पाठ्यक्रमों का संचालन किया तथा ₹ 15.88 करोड़⁸ की राशि भुगतान की गई थी। एजेसी ने सभी बिल डी.जी. को प्रस्तुत किए तथा दावों की यथार्थता निदेशालय द्वारा सत्यापित की गई थी न कि निदेशालय में आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा। भुगतान राजकीय बहुतकनीकियों, अंबाला, नीलोखेड़ी तथा कल्पना चावला महिला बहुतकनीकी, अंबाला सिटी द्वारा निर्मुक्त किए गए थे। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रस्तुत बिलों की न तो निदेशालय पर लेखा शाखा ना ही संबंधित बहुतकनीकी जिसने भुगतान निर्मुक्त किए गए थे, द्वारा संवीक्षा की गई थी।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि स्कीम मुख्यालय पर प्रतिपादित तथा विचारित की गई थी तथा यह सक्षम अधिकारी द्वारा, केन्द्रीयकृत पद्धति में परियोजना निष्पादित करना तथा समझौते के प्रावधानों के अनुसार अंतिम लेखाओं के समायोजन के साथ-साथ अंतरिम भुगतानों की निर्मुक्ति के लिए एक समान मानदंड अपनाकर उन्हें निदेशालय स्तर पर सत्यापित करने के बाद फील्ड कार्यालयों पर भुगतान निर्मुक्ति का लिपिकीय कार्य छोड़ना उपयुक्त माना गया था। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि दावों की सही संवीक्षा या तो मुख्यालय पर या फील्ड कार्यालय में लेखा शाखा द्वारा नहीं की गई थी जो अति आवश्यक था।

भुगतान करने में कमियां निम्नवत् चर्चित हैं:

(डी) संकेन्द्रित क्रैश पाठ्यक्रम 2008

अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.) तथा डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (डी.ई.टी.) के लिए अप्रैल 2008 में एक महीने का संकेन्द्रित क्रैश पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। पंजीकरण डाटा के अनुसार ए.आई.ई.ई.ई. कोचिंग के लिए 1,128 विद्यार्थी तथा डी.ई.टी. कोचिंग के लिए 2,144 विद्यार्थी थे। एम.एम.सी., चण्डीगढ़ द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल में ए.आई.ई.ई.ई. के लिए 1,149 विद्यार्थी तथा डी.ई.टी. के लिए 3,894 विद्यार्थी थे। एम.एम.सी., चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक बिल में विद्यार्थियों की संख्या एक दूसरे से भिन्न थी। अंत में, विभाग ने ए.आई.ई.ई.ई. के लिए 1,126 विद्यार्थियों तथा डी.ई.टी. के लिए 7,829 के दावे पर विचार किया तथा ₹ 1.84 करोड़ का भुगतान परिकलित किया गया जिसमें से ₹ 1.70 करोड़ के अन्तरिम भुगतान किए गए। विभाग ने प्रत्येक बिल में विद्यार्थियों को भिन्न संख्या के लिए कारणों की पूछताछ नहीं की।

⁸ 2008-09: ₹ 5.00 करोड़, 2009-10: ₹ 6.53 करोड़ तथा 2010-11: ₹ 4.55 करोड़।

संशोधित समझौते (जून 2008) के आधार पर एम.एम.सी., चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल में, डी.ई.टी. के 2,831 विद्यार्थियों तथा ए.आई.ई.ई.ई. के 664 विद्यार्थियों के परिणाम उपलब्ध नहीं थे जिसने स्पष्टतः सूचित किया कि ये विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार नहीं थे, यह देखा गया कि एम.एम.सी. द्वारा कोचिंग पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले ए.आई.ई.ई.ई. के लिए आवेदनों के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जा चुकी थी। इस प्रकार, कोचिंग के लिए उनका प्रवेश न्यायसंगत नहीं था। विभाग ने इन मामलों में अंतिम बिल में परिणाम आधारित भुगतान अनुमत नहीं किया था, लेकिन 3,495 विद्यार्थियों को ₹ 1,500 प्रति उम्मीदवार की दर पर भुगतान पहले ही किए जा चुके थे। विभाग ऐसे उम्मीदवारों की सूची भी नहीं दे सका जिनका परिणाम उपलब्ध नहीं था। इन मामलों में कुल भुगतान ₹ 52.43 लाख (सर्विस कर अतिरिक्त) परिकलित किया गया, जो विवेकपूर्ण नहीं था। विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि हैड काउंट मैथड अपनाते के कारण सूची प्राप्त नहीं की गई तथा विद्यार्थियों की संख्या भौतिक निरीक्षण के अनुसार स्थिर कर दी गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि भुगतान करने के लिए भौतिक गणना उचित पद्धति नहीं है। विभाग को समुचित प्रणाली आरंभ करनी चाहिए जिसमें कोचिंग सेंट्रों में कोचिंग के लिए दर्ज किए गए विद्यार्थियों के नाम, कोचिंग के लिए आने वाले तथा जिन्होंने प्रवेश परीक्षा पास की थी, उनके नाम उपलब्ध होने चाहिए तथा जिस आधार पर एजेसी को भुगतान सत्यापित किया गया था।

(ई) नियमित पाठ्यक्रम 2009

ओ.वाई.सी.पी. डी.ई.टी. तथा ए.आई.ई.ई.ई. 2009 के लिए विज्ञापन, अगस्त 2008 से शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों के लिए 23 जुलाई 2008 को अखबारों में प्रकाशित हुआ था। ₹ 8.80 करोड़ की राशि सर्विस प्रोवाइडर को दी गई थी जैसा कि तालिका 8 में वर्णित है:

तालिका 8: सेवा प्रदाता को भुगतानों के विवरण

क्र. सं.	बिल नं. तथा तारीख	दावा किए गए भुगतान का विवरण	भुगतान दावा	किया गया भुगतान
			(₹ लाख में)	
1.	1/29 दिसंबर 2008	पाठ्यक्रम वेयर की कीमत 1,848 ए.आई.ई.ई.ई. (ओ.वाई.सी.पी.) तथा 5,732 डी.ई.टी. (ओ.वाई.सी.पी.) विद्यार्थियों/₹ 3,000 प्रति विद्यार्थी	2.27	1.50
2.	2/7 जनवरी 2009	30 प्रतिशत ट्यूशन फीस 1,207 ए.आई.ई.ई.ई. (ओ.वाई.सी.पी.) तथा 5,732 डी.ई.टी. (ओ.वाई.सी.पी.) विद्यार्थियों/₹ 3,750 प्रति विद्यार्थी = ₹ 260.21 लाख 835 ए.आई.ई.ई.ई. (टी.वाई.सी.पी.) विद्यार्थी / ₹ 5,000 प्रति विद्यार्थी = ₹ 41.75 लाख सेवा कर = ₹ 37.32 लाख	3.39	1.00
3.	3/17 फरवरी 2009	₹ 418.16 लाख घटा पहले ही प्राप्त ₹ 250 लाख के लिए 830 ए.आई.ई.ई.ई. (ओ.वाई.सी.पी.), 5081 डी.ई.टी. (ओ.वाई.सी.पी.) तथा 365 ए.आई.ई.ई.ई. (टी.वाई.सी.पी.) विद्यार्थी दर्शाते हुए बिल संशोधित किया।	1.68	3.05
4.	5 मई 2009	पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2009 के विरुद्ध	-	0.50
5.	3/3 मार्च 2009	ट्यूशन फीस 10 प्रतिशत 830 ए.आई.ई.ई.ई. (ओ.वाई.सी.पी.), 365 ए.आई.ई.ई.ई. (टी.वाई.सी.पी.) तथा 5,081 डी.ई.टी. (ओ.वाई.सी.पी.) विद्यार्थी ₹ 1,250 प्रति विद्यार्थी	0.78	शून्य
6.	13/3 अगस्त 2009	परिणाम आधारित बिल 819 ए.आई.ई.ई.ई. (ओ.वाई.सी.पी.) तथा 4,703 डी.ई.टी. (ओ.वाई.सी.पी.) विद्यार्थी	3.09	2.75
कुल			11.21	8.80

नोट: शेष 10 प्रतिशत भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, सर्विस प्रोवाइडर ने न केवल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई बल्कि दो वर्षीय प्रोग्राम के लिए विद्यार्थियों को भी शामिल कर लिया। विभाग ने विज्ञापन दिए बिना सर्विस प्रोवाइडर के बिलों पर विचार किया।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि दो वर्षीय पाठ्यक्रम कार्यक्रम (टी.वाई.सी.पी.) समझौते में अनुमोदित की गई थी। इस प्रकार टी.वाई.सी.पी. के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश दिए गए थे। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि इस पाठ्यक्रम के सिवाय सभी कोर्सों के लिए विभाग द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गई थी तथा विज्ञापन जारी किया गया था। इस मामले में, टी.वाई.सी.पी. न तो सर्विस प्रोवाइडर को दी गई अनुमति में उल्लिखित था न ही विज्ञापन में उल्लिखित था।

विभाग ने 16 फरवरी 2009 को उम्मीदवारों की संख्या 830 ए.आई.ई.ई.ई. (ओ.वाई.सी.पी.), 365 ए.आई.ई.ई.ई. (टी.वाई.सी.पी.), 5681 डी.ई.टी. (ओ.वाई.सी.पी.) पर स्थिर कर दी थी, जो अगले दिन अर्थात् 17 फरवरी 2009 को बिना किसी विरोध के सर्विस प्रोवाइडर द्वारा स्वीकार कर ली गई थी तथा भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत कर दिए गए। यह इस तथ्य का सूचक था कि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई गई थी। विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि सर्विस प्रोवाइडर के पास स्वीकार के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि समझौते के प्रावधानों के अनुसार पार्टियों के बीच हुए समझौते के निबंधनों तथा शर्तों से संबंधित किसी मतभेद/झगड़े के मामले में, बही अकेले निर्णायक अर्थात् डी.ई.टी. को संदर्भित किया जाना था जो स्वीकार्य, अनुकूल तथा अंतिम थे। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोई सर्विस प्रोवाइडर जिसने विद्यार्थियों की उच्चतर संख्या स्वीकार कर ली थी उनको पहले की पाठ्यक्रम सामग्री आपूरित कर दी थी तो बिना किसी विरोध के विद्यार्थियों की कम संख्या स्वीकार नहीं करेगा।

(एफ) विभाग ने बिल नं. 3 दिनांक 17 फरवरी 2009 की फोटो प्रतियां प्रयोग करके राजकीय महिला बहुतकनीकी, अंबाला तथा राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी के माध्यम से ₹ 3.05 करोड़ की राशि निर्मुक्त की जैसा कि तालिका 9 में वर्णित है:

तालिका 9: बिल की फोटोप्रतियों पर जारी भुगतानों के विवरण

क्र. स.	सर्विस प्रोवाइडर के बिल के विवरण		बिल की फोटोप्रतियों पर निर्मुक्त भुगतानों का विवरण		
	बिल नम्बर तथा तिथि	राशि (₹ लाख में)	राशि (₹ लाख में)	बिल नम्बर तथा तिथि	भुगतान निर्मुक्त करने वाली संस्था का नाम
1	3/17 फरवरी 2009	168.15	80.00	504/19 मार्च 2009	जी.पी.डब्ल्यू, अंबाला शहर
			75.00	108/28 मई 2009	जी.पी.डब्ल्यू, अंबाला शहर
			100.00	244/27 अगस्त 2009	जी.पी, नीलोखेड़ी
			25.00	237/9 अक्टूबर 2009	जी.पी, नीलोखेड़ी
			25.00	307/24 दिसंबर 2009	जी.पी, नीलोखेड़ी
	कुल	168.15	305.00		

सर्विस प्रोवाइडर से सही बिल प्राप्त किए बिना भुगतानों की निर्मुक्ति तथा दावा की गई राशि की अधिकता में भुगतान की निर्मुक्ति न्यायसंगत नहीं थी। विभाग ने बताया (सितंबर 2012) कि इनवायस आधारित भुगतानों की निर्मुक्ति व्यवहारिक स्तर से संभव नहीं थी क्योंकि सत्यापन की

प्रक्रिया तथा प्रस्तुत बिल समकालिक नहीं किए जा सके। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभाग को भुगतान करने से पहले बिल प्राप्त करने चाहिए थे।

(जी) क्रैश पाठ्यक्रम 2009

अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.)/डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (डी.ई.टी.) 2009 में प्रवेश के लिए क्रैश पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए ₹ 60 लाख की उच्चतम लागत के साथ 19 मार्च 2009 को अनुमति दी गई थी। इस पाठ्यक्रम के विरुद्ध, विभाग ने ₹ 33.86 लाख का भुगतान किया (फरवरी 2010)। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि क्रैश पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विभाग द्वारा अखबारों में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया था क्योंकि समझौता तीन वर्षों के लिए वैध था तथा मौखिक प्रचार द्वारा विद्यार्थियों की वृद्धि जारी थी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस पाठ्यक्रम के सिवाय सभी पाठ्यक्रमों के लिए निदेशालय द्वारा अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। आगे, ₹ 50.56 लाख के दावों के विरुद्ध, ₹ 33.86 लाख की एक राशि विभाग द्वारा अंतरिम भुगतान के रूप में निर्मुक्त की गई थी। आगे कोई भुगतान या तो सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दावा या विभाग द्वारा निर्मुक्त नहीं किया गया। विभाग कोई समर्थित रिकार्ड यानि इस पाठ्यक्रम के लिए भुगतान का औचित्य सिद्ध करने के लिए केन्द्रों की सूची, विद्यार्थियों तथा उनके रोल नंबरों की सूची प्रस्तुत नहीं कर सका।

(एच) क्रैश पाठ्यक्रम 2010

ए.आई.ई.ई.ई./डी.ई.टी. 2010 में प्रवेश के लिए क्रैश पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति 27 जनवरी 2010 को दे दी गई थी। यह देखा गया कि समय-समय पर निरीक्षण के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित तथा सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रस्तुत नामांकित विद्यार्थियों की संख्या भिन्न थी जैसा कि नीचे चर्चित है:

क्र.सं.	आधार	विद्यार्थियों की संख्या	
		ए.आई.ई.ई.ई.	डी.ई.टी.
1.	बिल सं. 1 दिनांक 29 मार्च 2010	1270	8200
2.	बिल सं. 2 तथा 3 दिनांक 12 मई 2010	853	9825
3.	विभाग द्वारा निरीक्षण (पहला मार्च से मई 2010 के दौरान)	203	4395
4.	विभाग द्वारा निरीक्षण (दूसरा अप्रैल तथा मई 2010 के दौरान)	692	11059
5.	सर्विस प्रोवाइडर के बिल के अनुसार अंतिम भुगतान के लिए अनुमति दी गई	685	9852

विभाग ने ₹ 183.82 लाख का भुगतान किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

क्र. सं.	विवरण	विद्यार्थियों की संख्या		किया गया भुगतान (₹ लाख में)
		ए.आई.ई.ई.ई.	डी.ई.टी.	
1.	कोसेवियर	685	9852	52.68
2.	पाठ्यक्रम टीचिंग के लिए 50 प्रतिशत	406	7809	82.15
3.	परिणाम के आधार पर पाठ्यक्रम टीचिंग के लिए 50 प्रतिशत	257	3827	36.74
	सर्विस टैक्स			12.25
	कुल			183.82

उपर्युक्त से देखा जाएगा कि प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या में बहुत भिन्नताएं थी तथा अंत में सर्विस प्रोवाइडर ए.आई.ई.ई.ई. के लिए 257 तथा डी.ई.टी. के लिए 3,827 विद्यार्थियों के लिए दावा प्रस्तुत कर सका। कोचिंग प्रदान किए गए विद्यार्थियों की संख्या तथा दावा किए गए रैंक आधारित भुगतान का अनुपात विषम था। यह उल्लिखित करना भी उपयुक्त है कि डी.ई.टी. में, 70, 507 उम्मीदवारों की कुल संख्या परीक्षा में उपस्थित हुई तथा 70,000 के रैंक तक कोचिंग सेंटर को पूरा भुगतान किया गया। विभाग ने डी.ई.टी. के लिए विद्यार्थियों की संख्या में कमी को ध्यान में रखते हुए निष्पादन आधारित भुगतान के लिए मानदण्ड संशोधित नहीं किया था।

डी.जी. ने बताया (सितंबर 2012) कि समझौता 3 वर्षों के लिए वर्ष 2008 में किया गया था जब विद्यार्थियों की संख्या 1.3 लाख थी, तत्पश्चात उम्मीदवारों की संख्या 0.70 लाख तक तेजी से घट गई जो विभाग के नियंत्रण से परे थी। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि डी.ई.टी. के लिए प्रवेश परीक्षा तथा दाखिले संचालित करने के लिए एजेंसी होने के नाते, यह भलीभांति विभाग के नोटिस में था कि विद्यार्थियों की संख्या तेजी से घट रही थी तथा अगला पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले कांट्रैक्ट समझौता में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए थे।

चूंकि ए.आई.ई.ई.ई. तथा डी.ई.टी. के परिणाम विद्यार्थियों जिनको कोचिंग दी गई थी, की संख्या से विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या के संबंध में उपलब्ध थे। ज्यादा भुगतान प्राप्त करने के लिए एम.एम.सी. द्वारा विद्यार्थियों की ज्यादा संख्या दिखाने के अवसर वर्जित नहीं किए जा सकते क्योंकि इसमें ₹ 73.31⁹ लाख का अधिक भुगतान आवेष्टित था।

तालिका 10 में दिए गए विवरण के अनुसार इस पाठ्यक्रम में भी, डी.ई.टी. 2010 तथा ए.आई.ई.ई.ई. 2010 के लिए क्रैश पाठ्यक्रम के लिए बिल नं. 4 दिनांक 21 जुलाई 2010 की फोटोप्रतियों के विरुद्ध राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी के माध्यम से ₹ 44.21 लाख की राशि निर्मुक्त की गई थी।

तालिका 10: बिल की फोटोप्रतियों पर जारी भुगतानों के विवरण

क्र. सं.	सर्विस प्रोवाइडर के बिल का विवरण		बिल की फोटो प्रतियों पर निर्मुक्त भुगतानों के विवरण			
	बिल सं. तारीख	तथा राशि (₹ लाख में)	राशि (₹ लाख में)	बिल सं. तथा तारीख	भुगतान करने वाली संस्था का नाम	
1	4/21 जुलाई 2010	38.89	19.21	441/22 जनवरी 2010	जी.पी. नोलोखेड़ी	
			25.00	17726 जुलाई 2010	जी.पी. नोलोखेड़ी	
	कुल	39.89	44.21			

(आई) नियमित पाठ्यक्रम 2011

ए.आई.ई.ई.ई./डी.ई.टी. 2011 में प्रवेश के लिए नियमित पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु अनुमति ए.आई.ई.ई.ई. के लिए 1,500 विद्यार्थियों तथा डी.ई.टी. के लिए 3,000 विद्यार्थियों की सीलिंग के साथ दे दी गई थी (15 दिसंबर 2010)। कक्षाएं 22 दिसंबर 2010 से आरंभ की जानी थी तथा ए.आई.ई.ई.ई. तथा डी.ई.टी. के आरंभ से पहले समाप्त की जानी थी। चूंकि पाठ्यक्रम देरी से शुरू किया गया था, यह 140 दिनों के एकवर्षीय पाठ्यक्रम की तुलना में 100 दिनों तक कम कर दिया गया था। पाठ्यक्रम फीस

⁹ 257 + 3,827 @ ₹ 2,500 = ₹ 102.10 लाख जमा सर्विस कर @ 10.3 प्रतिशत ₹ 8.41 लाख = कुल ₹ 110.51 लाख। अंतर ₹ 183.82 लाख - ₹ 110.51 लाख = ₹ 73.31 लाख।

₹ 8,929 प्रति विद्यार्थी कम कर दी गई थी। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ₹ 4.78¹⁰ करोड़ के प्रस्तुत बिलों के आधार पर विभाग ने सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान योग्य ₹ 3.57 करोड़ की राशि परिगणित की (कोसेवियर के कारण तथा 1,115 ए.आई.ई.ई.ई. तथा 4,889 डी.ई.टी. उम्मीदवारों के लिए टयूशन फीस का 30 प्रतिशत) तथा ₹ 3.21 करोड़ की एक राशि निर्मुक्त की (मार्च 2011)।

विभाग ने डी.ई.टी. के 4,889 विद्यार्थियों के आधार पर भुगतान परिगणित किया जबकि सर्विस प्रोवाइडर को डी.ई.टी. हेतु 3,000 विद्यार्थियों के नामांकन के लिए अनुमति दी गई थी। स्वीकार्य राशि परिगणित करते समय, यह तथ्य ध्यान में नहीं रखा गया था। सर्विस प्रोवाइडर को, कारण बताने के लिए भी नहीं कहा गया था कि उसने निर्धारित सीमा के आधिक्य में विद्यार्थियों को क्यों नामांकित किया। इस कारण, विभाग ने ₹ 87.09¹¹ लाख का अधिक भुगतान निर्मुक्त किया जो न्यायसंगत नहीं था।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (सितंबर 2012) कि सक्षम अधिकारी (डी.जी.) के अनुमोदन के बाद भुगतान निर्मुक्त किया गया था। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विद्यार्थियों की अधिक संख्या सरकार जिसकी अनुमति से पाठ्यक्रम शुरू किया गया था से विनियमित करवाई जानी चाहिए थी।

विभागीय अधिकारियों द्वारा मई 2011 में किए गए निरीक्षणों ने कोचिंग कक्षाओं के संचालन में गंभीर कमियां प्रकट की जैसे सैंटर बंद पाए गए, कम उपस्थिति, अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात (1:25) का अनुरक्षण, विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम वेयर प्रदान न करना आदि।

सर्विस प्रोवाइडर ने अन्ततः कोर्सों को बीच में ही छोड़ दिया (मई 2011 में निदेशालय की स्पेशल टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दूसरे फेज के अनुसार) सर्विस प्रोवाइडर द्वारा पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ने के कारण कमजोर विद्यार्थियों को कोचिंग के लाभ से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार ₹ 3.21 करोड़ का समग्र व्यय व्यर्थ बना दिया गया था। विभाग ने, कोचिंग अधूरी छोड़ने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत छानबीन की जा रही है तथा चूककर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। फर्म को उसको दी गई अधिक राशि की वसूली के लिए कानूनी नोटिस भेज दिया गया था (11 नवंबर 2012)। आगे, कोचिंग की स्कीम भी बंद कर दी गई (7 सितंबर 2012) क्योंकि डी.ई.टी. पास किए बिना भी सीटों की बृहद संख्या की उपलब्धता के विचार से इसको आवश्यक नहीं समझा गया था।

¹⁰ बिल नं. 6 दिनांक 15 जनवरी 2011: ₹ 2.01 करोड़, 7 दिनांक 27 जनवरी 2011: ₹ 0.92 करोड़, 8 दिनांक 15 फरवरी 2011: ₹ 0.92 करोड़ तथा 9 दिनांक 1 मार्च 2011: ₹ 0.93 करोड़।

¹¹ वस्तुतः दिए गए ₹ 3,2078,760 (-) 1,115 ए.आई.ई.ई.ई. + 3,000 डी.ई.टी. उम्मीदवार के लिए देय: (₹ 3,000 + 2,679 अर्थात् ₹ 8,929 x 4,115 का 30 प्रतिशत) ₹ 2,33,69,085 = अधिक भुगतान किया गया ₹ 87,09,675

अन्य अनियमितताएं

(जे) कोर्सवेयर के कारण अनियमित भुगतान

समझौते के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, नामांकित विद्यार्थियों की वास्तविक प्राप्ति के आधार पर कोर्सवेयर के लिए भुगतान निर्मुक्त किए जाने थे। विभाग ने तालिका 11 में दिए गए विवरणों के अनुसार सर्विस प्रोवाइडर को पाठ्यक्रम सामग्री के लिए ₹ 4.73 करोड़ की राशि निर्मुक्त की।

तालिका 11: कोर्सवेयर के लिए जारी भुगतानों के विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	विवरण	निर्मुक्त किए गए भुगतान (₹ लाख में)
1	क्रैश पाठ्यक्रम 2008	ए.आई.ई.ई.ई.: 1126 तथा डी.ई.टी.: 7,777 विद्यार्थी/₹ 5,00	44.52
2	नियमित पाठ्यक्रम 2009	ए.आई.ई.ई.ई.: 830 + 365 तथा डी.ई.टी.: 5081 विद्यार्थी/@ 3,000	188.28
3	क्रैश पाठ्यक्रम 2009	ए.आई.ई.ई.ई.: 1325 + 144 तथा डी.ई.टी.: विद्यार्थी/@ 5,00	7.35
4	क्रैश पाठ्यक्रम 2010	ए.आई.ई.ई.ई.: 685 तथा डी.ई.टी.: 9852/@ 500	52.69
5	नियमित पाठ्यक्रम 2011	ए.आई.ई.ई.ई.: तथा डी.ई.टी.: 6004 विद्यार्थी/@ 3000	180.12
		कुल	472.96

स्रोत: विभागीय रिकार्डज।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कोर्सवेयर की पावतियां बिलों के साथ संलग्न नहीं पाई गई थी। वास्तविक प्रापक पावतियां भी विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। कोर्सवेयर की प्राप्ति की अनुपस्थिति में, भुगतान प्रामाणिकता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी। विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि सर्विस प्रोवाइडर से रिकार्डज प्राप्त किए गए थे तथा लगभग 400 फाइलों में उनके पास पड़े हुए थे। विभाग ने लेखापरीक्षा को पावतियों के सैम्पल भी प्रस्तुत किए। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभाग के पास विद्यार्थियों की सूची नहीं थी जिनके लिए सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान अनुमत किया गया था। इस प्रकार, विभाग द्वारा प्रस्तुत वास्तविक प्रापक पावतियां नामांकित विद्यार्थियों की सूची के संदर्भ में सत्यापित नहीं की जा सकी। आगे, सर्विस प्रोवाइडर ने अपनी रूचि की अभिव्यंजना में एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए जीनियस अध्ययन सामग्री पैकेज (15-18 किताबें) प्रदान करने हेतु प्रस्ताव किया था लेकिन विभाग ने किसी भी स्तर पर सत्यापित नहीं किया कि पूर्ण अध्ययन सामग्री यथा सम्मत प्रदान की गई थी। यह तथ्य भी समझौते में शामिल नहीं किया गया था। विभाग द्वारा प्रस्तुत नमूना ए.पी.आर.ज ने भी सूचित नहीं किया कि पूर्ण सामग्री सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपूरित की गई थी।

(के) सरकारी मूलभूत संरचना का अवैध प्रयोग

समझौते (20 जून 2008) के क्लॉज 2 तथा 3 के अनुसार, सर्विस प्रोवाइडर को निर्दिष्ट स्थानों पर कोचिंग सेंटर स्थापित करने थे तथा डी.टी.ई. को सेंटरों की एक सूची प्रस्तुत करनी थी जिसने व्यापक प्रचार के लिए अखबारों में विज्ञापन जारी करना था। अभिलेखों से यह देखा गया कि एम.एम.सी. ने शिक्षा विभाग से कोई अनुमोदन लिए बिना प्रत्येक पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले सरकारी स्कूलों के केन्द्रों की सूची प्रस्तुत की थी। डी.टी.ई. द्वारा प्रकाशित किया गया विज्ञापन कोचिंग कक्षाओं को संचालित करने के लिए सरकारी स्कूलों की मूलभूत संरचना प्राप्त करने के लिए उपकरण की तरह प्रयोग किया गया था जिसके लिए सरकार को कोई किराया नहीं दिया गया था। इस प्रथा के परिणामस्वरूप सर्विस प्रोवाइडर को अनुचित लाभ हुआ तथा सरकार को हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा विज्ञापन उपकरण की तरह प्रयोग किए गए थे। दूसरा, यदि यह वास्तव में मामला था, यह सर्विस प्रोवाइडर की ओर से विश्वास का उल्लंघन था तथा ऐसे मामलों के संव्यवहार में भविष्य के लिए एक सबक था। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था, क्योंकि नमूना-जांच के दौरान स्कूलों के प्रिंसीपलों द्वारा यह सूचित किया गया था कि तकनीकी शिक्षा विभाग के विज्ञापन के आधार पर उन्होंने कोचिंग कक्षाओं का संचालन अनुमत किया था। आगे, यह सत्यापित करना विभाग की जिम्मेदारी थी कि सैंटर प्रमाणित थे तथा संबंधित प्राधिकारी अर्थात् शिक्षा विभाग के सही अनुमोदन से स्थापित किए गए थे।

(एल) उपस्थिति के बायो-मीट्रिक सिस्टम का अप्रतिष्ठापन

समझौते के क्लॉज-9 के अनुसार, सर्विस प्रोवाइडर, बायोमीट्रिक सेंसर तथा हाजिरी की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की संभावना की छानबीन कर सकता है। लेकिन कान्ट्रैक्ट करने के बाद विभाग ने सर्विस प्रोवाइडर को इसे कार्यान्वित करने को नहीं कहा। विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि यह नहीं किया गया था क्योंकि यह अनिवार्य नहीं था। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने इसके लिए कभी भी जोर नहीं दिया। यदि ये नियंत्रण किए गए होते, तो अनेक अनियमितताएं टाली जा सकती थी।

(एम) केंद्रों का निरीक्षण

सभी पाठ्यक्रमों में, विद्यार्थियों की समग्र प्रवेश प्रक्रिया सर्विस प्रोवाइडर पर छोड़ दी गई थी तथा विभाग ने न तो स्वयं प्रवेश किए थे न ही कोचिंग के लिए प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के नाम/पते तथा अन्य विवरण से समायुक्त उम्मीदवारों की विस्तृत केन्द्रवार सूची प्राप्त की थी। उम्मीदवारों की सूची की उपलब्धता न होने के कारण, लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि उम्मीदवार यथार्थ थे तथा संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित हुए थे। आगे, सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रस्तुत सूची, निष्पादन आधारित भुगतान का दावा करते समय, यह सत्यापित नहीं कर सकी कि उन विद्यार्थियों के लिए भुगतान दावा किया गया था जिन्हें सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कोचिंग दी गई थी।

विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के दौरान किए गए केंद्रों के निरीक्षण ने गंभीर कमियां प्रकट की जैसे केन्द्र बंद पाए गए, अपर्याप्त मूलभूत संरचना, विद्यार्थियों की कम उपस्थिति, की निरीक्षण अधिकारियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में एम.एम.सी., चंडीगढ़ भिन्नतः निदेशालय ने इन रिपोर्टों का ध्यान नहीं किया था क्योंकि कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए थे।

5.1.10 शैक्षणिक गतिविधियां

5.1.10.1 प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए अनुमोदन

1966 में हरियाणा राज्य के निर्माण के समय, केवल 6 बहुतकनीकी थे (सरकारी: 4, सरकारी सहायता प्राप्त: 2) जो 2012-13 शैक्षणिक सत्र तक 194 (सरकारी: 23, सहायता प्राप्त: 5,

प्राइवेट: 158) तक बढ़ गए थे। गत पांच वर्षों के दौरान संख्या तेजी से बढ़ी। तालिका 12 राज्य में विभिन्न ट्रेडों में तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा प्रदान करने वाले बहुतकनीकियों की तीव्र वृद्धि सूचित करती है:

तालिका 12: राज्य में बहुतकनीकियों की वृद्धि दर्शाने वाले विवरण

वर्ष	संस्थाओं की संख्या	भरती क्षमता
2007-08	83	25575
2008-09	137	48680
2009-10	151	49875
2010-11	163	53590
2011-12	194	63470*

* आठ संस्थाओं को प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी गई थी
(स्रोत: शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए एच.एस.सी.एस. की विवरणिका)

एच.एस.बी.टी.ई. राज्य में बहुतकनीकियों की गतिविधियों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार था। बोर्ड द्वारा बहुतकनीकियों का निरीक्षण करना तथा सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानक अनुसरित किए गए थे। एच.एस.बी.टी.ई. द्वारा निर्मित रिव्यू कमेटी ने 2011-12 के दौरान 115 बहुतकनीकियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, सात संस्थाओं को एफिलिएशन के प्रत्याहार के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे तथा 40 को भरती क्षमता कम करने के लिए तथा शेष 68 संस्थाओं की विभिन्न कमियां इंगित की गई थी। बड़ी कमियों में मानकों के अनुसार फौकल्टी की कमी, अपर्याप्त कम्प्यूटर तथा लैबोरटरी सुविधाएं, खराब औद्योगिक संवाद, संस्थाओं के प्रधानों की पोस्टिंग न होना आदि शामिल थी।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर डी.जी. ने बताया (दिसंबर 2012) कि प्राइवेट बहुतकनीकियों ने बोर्ड द्वारा एफिलिएशन के मना करने के विरुद्ध माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल याचिका दायर की थी तथा कोर्ट ने संबंधित संस्थाओं को प्रवेश जारी करने के लिए सितंबर 2012 में अंतरिम आदेश पास किया था।

5.1.10.2 विभाग द्वारा प्रदान किए गए लाभ

सरकारी तथा प्राइवेट दोनों संस्थाओं में बहुतकनीकियों तथा इंजीनियरिंग कालेजों में अभिलाषी विद्यार्थियों के लिए सीटों की संख्या में भारी वृद्धि थी जैसा कि निम्न अनुच्छेद में चर्चित है:

- बहुतकनीकी तथा इंजीनियरिंग कालेजों में खाली सीटों में वृद्धि

तालिका 13 तथा 14 तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेशों की स्थिति दर्शाती हैं।

बहुतकनीकी

तालिका 13: सरकारी तथा प्राइवेट बहुतकनीकियों में प्रवेश

वर्ष	सरकारी संस्थाएं			प्राइवेट संस्थाएं		
	संस्वीकृत	भरे गए	रिक्त (प्रतिशत)	भरे गए	रिक्त (प्रतिशत)	संस्वीकृत
2008-09	17000	16685	315 (2)	31680	29368	2312 (7)
2009-10	17250	16553	697 (4)	32625	27787	4838 (15)
2010-11	17170	14993	2177 (13)	36420	24887	11533 (32)
2011-12	17170	11999	5171 (30)	46300	28379	17921 (39)

राजकीय बहुतकनीकियों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2008-12 के दौरान तेजी से कम हुई। सचिव, एच.एस.बी.टी.ई. ने बताया (जुलाई 2012) कि बहुतकनीकियों में प्रवेश में कमी, बहुतकनीकियों की संख्या में वृद्धि के कारण थी, जो उनके नियंत्रण में नहीं थी।

इंजीनियरिंग कालेज

तालिका 14: सरकारी तथा प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश

वर्ष	सरकारी संस्थाएं			प्राइवेट संस्थाएं		
	संस्वीकृत	भरे गए	रिक्त (प्रतिशत)	भरे गए	रिक्त (प्रतिशत)	संस्वीकृत
2008-09	2245	2237	8 (0)	32025	27569	4456 (14)
2009-10	2775	2423	352 (13)	41930	27312	14618 (35)
2010-11	2775	2471	304 (11)	46850	28056	18794 (40)
2011-12	2915	2740	175 (6)	55856	26269	29587 (53)

राजकीय संस्थाओं में सीटों की रिक्तता नगण्य थी जबकि प्राइवेट संस्थाओं में सीटों की रिक्तता 2011-12 में 53 प्रतिशत तक उच्चतर थी:

5.1.10.3 ड्रॉपआउट्स

तालिका 15 ने गत पांच वर्षों के दौरान डिप्लोमा कोर्सों के ड्रॉपआउट उम्मीदवारों की संख्या इंगित की।

तालिका 15: ड्रॉपआउट उम्मीदवारों के विवरण

वर्ष	प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की संख्या	परीक्षा में पहली बार उपस्थित हुए नियमित उम्मीदवारों की संख्या	ड्रॉप आउट उम्मीदवारों की संख्या	ड्रॉप की प्रतिशतता
2007-08	25575	24130	1445	5.66
2008-09	46053	43794	2259	4.91
2009-10	44340	42499	1841	4.15
2010-11	42378	39306	3072	7.24
2011-12	44232	40461	3771	8.52

स्रोत: विभागीय डाटा।

2007-12 के दौरान विद्यार्थियों की ड्रॉपआउट प्रतिशतता 4.15 से 8.52 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। डी.जी. ने बताया (दिसंबर 2012) कि वर्ष 2009-10 के दौरान सरकार ने घोषणा की कि 10वीं पास विद्यार्थियों यद्यपि वे विज्ञान तथा गणित में फेल हो गए थे, बहुतकनीकी में प्रवेश के लिए योग्य थे। ऐसे विद्यार्थी उच्चतर अध्ययन की प्रणाली के साथ सामना नहीं कर सके तथा परिणामस्वरूप उच्चतर ड्रॉप आउट दर हुई। आगे, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी से पास आउट हुए विद्यार्थियों की बहुलता थी जहां निर्देश का माध्यम हिंदी था जबकि बहुतकनीकियों में, निर्देश का माध्यम अंग्रेजी था। यह भी सूचित किया गया (दिसंबर 2012) कि ब्रिज कोर्सों तथा द्विभाषी परीक्षा पैटर्न आरंभ करने हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं।

5.1.10.4 विद्यार्थियों की उत्तीर्ण प्रतिशतता

बहुतकनीकियों में विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता में तेजी से कमी हुई जैसा कि तालिका 16 से स्पष्ट है।

तालिका 16: विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता दर्शाने वाले विवरण

वर्ष	सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त बहुतकनीकी			प्राइवेट बहुतकनीकी		
	कुल विद्यार्थी	पास	पास (प्रतिशतता)	कुल विद्यार्थी	पास	पास (प्रतिशतता)
2008	6084	5025	83	2013	1304	65
2009	6956	5501	79	4072	2358	58
2010	10307	7240	70	11020	4840	44
2011	14780	9584	65	27534	9773	35
2012	13745	8168	59	21407	4925	23

रिजल्ट डाटा का विश्लेषण दिखाता है कि सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त बहुतकनीकियों में विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 2008-12 के दौरान 83 से 59 प्रतिशत तक तेजी से कम हो गई थी जबकि प्राइवेट बहुतकनीकियों के मामले में यह 65 से 23 प्रतिशत तक कम हुई। कम पास प्रतिशतता ने बहुतकनीकियों में कम गुणवत्ता शिक्षा देना सूचित किया। टीचिंग तथा अन्य सहायक स्टाफ की कमी अर्थात् वर्कशाप निर्देशकों, लैबोरेट्री निर्देशकों, जूनियर प्रोग्रामर आदि तथा फैंकल्टी विकास कार्यक्रम का अकार्यान्वयन विद्यार्थियों की कम पास प्रतिशतता के लिए जिम्मेवार हो सकते थे। डी.जी. ने बताया (दिसंबर 2012) कि बहुतकनीकियों में कम पास प्रतिशतता तथ्य के कारण थी कि दसवीं पास विद्यार्थी बहुतकनीकियों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु योग्य था तथा प्रवेश के लिए न्यूनतम कट आफ प्रतिशतता नहीं थी।

5.1.10.5 पुनर्मूल्यांकन के परिणाम

परीक्षाओं में जो उम्मीदवार उपस्थित हुए विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए अनुमत थे। 2007-12 के दौरान बहुतकनीकियों के विद्यार्थियों द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की गई उत्तर पुस्तिकाओं के विवरण तालिका 17 में दिए गए हैं।

तालिका 17: परिणामों के पुनर्मूल्यांकन के विवरण

	दिसंबर 2008	जून 2009	दिसंबर 2009	जून 2010	दिसंबर 2010	जून 2011
परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों की कुल संख्या (प्रतिशत)	77076	77549	111258	107104	126686	119205
पुनर्मूल्यांकित विद्यार्थियों की संख्या (प्रतिशतता)	4444 (6)	2450 (3)	8441 (8)	3248 (3)	7078 (6)	13354 (11)
पुनर्मूल्यांकन पर श्रेणी पास करने में असफल (प्रतिशतता)	1085 (24)	502 (20)	600 (7)	467 (14)	3592 (51)	931 (7)
पहले से पास उम्मीदवारों के, मूल्यांकन पर, अंकों में वृद्धि	50	105	315	150	1030	379
पुनर्मूल्यांकन पर परिवर्तन (प्रतिशतता)	1135 (26)	607 (25)	915 (11)	617 (19)	4622 (65)	1310 (10)

पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता दिसंबर 2008 में छः से जून 2011 में 11 तक बढ़ गई। उत्तर पुस्तिकाओं, जहां पुनर्मूल्यांकन पर अंक परिवर्तित हो गए की प्रतिशतता 10 तथा 65 के बीच श्रृंखलित थी तथा फेल से पास उम्मीदवारों की पास प्रतिशतता 7 तथा 51 के बीच थी। इसने दिखाया कि पुनर्मूल्यांकन प्रणाली में कमियां थी। सचिव,

एच.एस.बी.टी.ई. ने बताया (जुलाई 2012) कि पुनर्मूल्यांकन अंकों में परिवर्तन पोस्टिंग त्रुटि देखे गए हैं, परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता के व्यक्तिगत निर्णय तथा आवश्यक सुधारक उपाय टेबल मार्किंग सिस्टम तथा अवार्डज सत्यापित करने के लिए सतर्कता टीम का परिचालन मजबूत करके लिए गए थे।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के बाद परिणाम में भारी भिन्नता चिंता का विषय था तथा स्टाफ को, पुनर्मूल्यांकन के लिए वही स्टाफ न रखने हेतु निर्देश दिए।

5.1.10.6 कैम्पस प्लेसमेंट

सभी बहुतकनीकियों में कैम्पस प्लेसमेंट सैल, स्थापित किया गया था। विभाग ने योग्य उम्मीदवारों की प्लेसमेंट के लिए 100 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किए। गत पांच वर्षों के दौरान योग्य उम्मीदवारों की प्लेसमेंट की स्थिति तथापि, तालिका 18 में दी गई है।

तालिका 18: 2008-12 के दौरान प्लेसमेंट के विवरण

वर्ष	राजकीय बहुतकनीकियां		
	कुल विद्यार्थी	प्लेसमेंट्स	प्रतिशतता
2008-09	4,870	1,732	35.56
2009-10	6,826	2,476	36.27
2010-11	8,229	2,770	33.66
2011-12	5,081	1,207	23.75
कुल	25,006	8,185	32.31

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

नोट: 2007-08 के लिए डाटा विभाग के पास उपलब्ध नहीं।

राजकीय बहुतकनीकियों में कैम्पस प्लेसमेंट दर 2008-09 में 35.56 प्रतिशत से 2011-12 में 23.76 तक नीचे आ गई। प्रिंसीपल, राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी ने बताया (जुलाई 2012) कि संस्थान में कोई प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट आफिसर नहीं था परिणामस्वरूप उद्योग संस्थान पारस्परिक क्रिया अधीन गतिविधियां निष्क्रिय रही।

डी.जी. ने बताया (दिसंबर 2012) कि कमी, इस कारण से थी कि पार्श्व प्रवेश स्कीम के अंतर्गत 40-50 प्रतिशत विद्यार्थी उच्चतर अध्ययनों के लिए विकल्प देते हैं। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि उच्चतर अध्ययन के लिए विकल्प देने के इच्छुक विद्यार्थियों ने निश्चित रूप से प्लेसमेंट के लिए आवेदन नहीं दिया होगा। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि कम प्लेसमेंट्स मुख्यतः उच्चतर योग्य तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता के कारण था जिन्हें कंपनियों, नियुक्त करने हेतु वरीयता देती थी। इस गतिविधि को बढ़ाने के लिए संस्थाओं को सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तथा सभी संस्थाओं में ट्रेनिंग तथा प्लेसमेंट अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं तथा संस्था में रिक्ति के मामले में, ये तुरंत भर दी जाएंगी।

5.1.11 मानव संसाधन विकास

5.1.11.1 शिक्षण तथा गैर शिक्षण संवर्गों में रिक्तियां

ओसाइटियों के संवर्गों सहित राजकीय बहुतकनीकियों में अध्यापन संवर्गों की विभिन्न श्रेणियों में 1,536 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध मार्च 2012 को वास्तविक तैनात 899 थे जबकि 637 (41.47 प्रतिशत) पद खाली पड़े थे जो तालिका 19 में वर्णित हैं।

तालिका 19: अध्यापन संवर्गों में रिक्तियां दर्शाने वाले विवरण

अध्यापन संवर्ग	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	रिक्ति प्रतिशतता
राजकीय बहुतकनीकी	890	600	290	33
राजकीय बहुतकनीकी समितियां	646	299	347	54
कुल	1,536	899	637	41

लेखापरीक्षा ने बहुतकनीकियों द्वारा अतिथि फैकल्टी का नियोजन देखा। चार बहुतकनीकियों में यह भी देखा गया कि 29 अतिथि फैकल्टी सदस्यों के पास लेक्चरर/इंस्ट्रक्टर के रूप में भर्ती के लिए अपेक्षित योग्यताएं नहीं थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि नए स्टाफ की भर्ती के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा अपने स्टाफ को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश भी दिए कि संस्थान में अतिथि फैकल्टी के पास नियमित फैकल्टी वाली वही योग्यता होनी चाहिए तथा किसी भी अतिथि फैकल्टी को जारी करने के अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसका परिणाम 30 प्रतिशत से कम था।

यह आगे देखा गया (जून 2012) कि 25 विभागाध्यक्ष/सीनियर लेक्चररों/लेक्चररेज विभिन्न बहुतकनीकियों से निकाले गए थे तथा नॉन टीचिंग कार्य जैसे स्थापना कार्य, आर.टी.आई. आवेदनों के उत्तर देना, सहायता अनुदान की निर्मुक्ति, परिणामों का प्रकाशन आदि निष्पादित करने के लिए निदेशालय/एच.एस.बी.टी.ई. में प्रतिनियुक्त किए गए थे। इसने बहुतकनीकियों में अध्यापन कार्य को प्रभावित किया। विभाग को ऐसी गैर-शिक्षण गतिविधियों पर अध्यापन स्टाफ के नियोजन से बचने के लिए ऐसे कार्यों के लिए सही स्टाफ भर्ती करना चाहिए।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि ऐसे समायोजन, स्टाफ की कमी तथा ज्यादा वर्कलोड के कारण किए गए थे। कारण स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि समायोजन का बहुतकनीकियों में विद्यार्थियों के अध्ययन पर बुरा प्रभाव है। यह कार्य राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग नीति के अंतर्गत अस्थाई स्टाफ नियुक्त करके करवाया जा सकता था।

गैर-अध्यापन संवर्ग (वर्ग-III) में रिक्ति स्थिति तालिका 20 में दी गई है।

तालिका 20: गैर-अध्यापन संवर्ग में रिक्तियां दर्शाने वाले विवरण

गैर-अध्यापन संवर्ग	संस्वीकृत	भरे हुए	खाली
राजकीय बहुतकनीकी	506	298	208
राजकीय बहुतकनीकी सोसाइटीज	246	98	148
कुल	752	396	356

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, वर्ग- III संवर्ग में 47 प्रतिशत पद खाली पड़े थे। यह देखा गया कि 356 रिक्त पदों में से 231 पद (राजकीय बहुतकनीकी: 172 तथा राजकीय बहुतकनीकी सोसाइटीज: 59) टीचिंग संवर्ग अर्थात् वर्कशाप इंस्ट्रक्टर, जूनियर प्रोग्रामरज तथा लैबोरेटरी इंस्ट्रक्टरों से संबधित थे जो व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत क्रिटीकल पद थे। इस प्रकार, ऐसी कमियां निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

5.1.11.2 अध्यापक विद्यार्थी अनुपात

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, बहुतकनीकियों में आदर्श अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:20 है। उच्चतर अनुपात विद्यार्थियों के अध्ययन को प्रभावित करता है क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों की बृहदतर संख्या पर सही ध्यान देने में समर्थ नहीं होते। नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि नमूना-जांच किए गए संस्थाओं में औसत अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात 1:30 था। राजकीय महिला बहुतकनीकी, फरीदाबाद तथा राजकीय बहुतकनीकी नीलोखेड़ी में स्थिति सबसे बुरी थी जहां यह 1:40 था।

अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात के अनुरक्षण ने विद्यार्थियों के अध्ययन को प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप आखिर में कम पास प्रतिशतता तथा हाई ड्रॉपआउट दरें हुई। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय पी.एस. ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात अनुरक्षित नहीं किया जा सका। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि पोलिटैक्निकों से स्टाफ की बृहद संख्या उनकी नियमित ड्यूटी से दूर निदेशालय/बोर्ड/ सोसाइटियों में प्रतिनियुक्त किया गया था।

5.1.11.3 स्टाफ की अव-उपयोगिता

तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति हेतु मूल सिद्धांत है उनको अध्यापन प्रयोजनों के लिए उपयोग करना। तीन¹² संस्थाओं में, बंद हुए व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं का स्टाफ विलय किया गया था। यद्यपि यह स्टाफ इंस्ट्रक्टरज तथा वाइस प्रिंसीपलों के वेतनमान में वेतन आहरित कर रहा था, वे लिपिकीय कार्यों में लगाए गए थे। 2009-12 (परिशिष्ट 5.8) के दौरान उनके द्वारा आहरित कुल वेतन ₹ 1.03 करोड़ राशि का था। यह देखा गया कि पॉलीटैक्नीकों में, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सों की अनुपस्थिति में उनकी सेवाएं, ऐसे स्थानों, में जहां तकनीकी पद रिक्त पड़े थे, नियोजित करने की बजाय वे क्लेरिकल या रूटीन जॉबज कर रहे थे। इसने सूचित किया कि विभाग ने इन स्टाफ मैम्बरज की सेवाओं की सही तरीके से उपयोगिता की योजना नहीं बनाई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 2012) कि कौशल विकास अभिक्रम स्कीम जी.ओ.आई. द्वारा चलाई जा रही थी जिसके अंतर्गत संस्थान द्वारा जॉब अभिमुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने थे। कुछ सरकारी क्षेत्र औद्योगिक ट्रेनिंग संस्थान, यानि अंबाला, करनाल, सिरसा तथा प्राइवेट बहुतकनीकियों स्कीम को कार्यान्वित कर रहे थे। स्कीम के अंतर्गत संस्थाओं द्वारा लघु तथा दीर्घावधि पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे जिनमें विद्यार्थी परीक्षा में सफल होने पर परीक्षा फीस सहित फीस की पूर्ण

¹² फरीदाबाद, झज्जर तथा लोहारू।

प्रतिपूर्ति भी प्राप्त करते हैं। यद्यपि, निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग ने अपने नियंत्रण अधीन बहुतकनीकियों के प्रिंसीपलों को, स्कीम का लाभ प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय निदेशालय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण (आर.डी.ए.टी.), फरीदाबाद के साथ सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जी.ओ.आई. के पास पंजीकृत करवाने हेतु निर्देश दिए (दिसंबर 2009)। नमूना-जांच किए किसी भी संस्थान ने प्रयोजन हेतु स्वयं को पंजीकृत नहीं करवाया। यदि राज्य में बहुतकनीकियों द्वारा स्कीम कार्यान्वित की गई होती तो व्यावसायिक संस्थाओं के अतिरिक्त टीचिंग स्टाफ की सेवाएं इन कोर्सों के लिए उनको नियोजित कर सही तरीके से उपयोग की जा सकती थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि यह स्टाफ पॉलीटैक्नीकों में टीचिंग के लिए अपेक्षित स्टाफ की तुलना में कम योग्य था इस प्रकार वे अन्य कार्यों पर लगाए गए हैं।

5.1.11.4 टीचिंग स्टाफ का कौशल उन्नयन

टीचिंग फैकल्टी के ज्ञान तथा कौशल को अद्यतन करने के लिए नियमित ट्रेनिंग प्रोग्राम आवश्यक थे। यह देखा गया कि 2007-12 के दौरान विभाग द्वारा न तो अध्यापकों के कौशल उन्नयन के लिए कोई प्लान तैयार किया गया था न ही कोई ओरियंटेशन/रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया गया था एन.आई.टी.टी.आर. तथा एच.आई.पी.ए. द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे जिसने संस्थाओं को वार्षिक ट्रेनिंग प्रोग्राम यह सुनिश्चित करने के लिए परिचालित किए थे कि टीचिंग स्टाफ समय-समय पर सही ढंग से प्रशिक्षित किए जा रहा था। निदेशालय द्वारा इस गतिविधि के अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। तथापि, विभाग की ट्रेनिंग पालिसी प्रतिपादन अधीन थी (मार्च 2012)।

5.1.12 संपदा प्रबंधन तथा विविध गतिविधियां

5.1.12.1 आवासों के लिए अलग बिजली मीटरों का अप्रतिष्ठापन स्थापना न होना

राजकीय महिला बहुतकनीकी, फरीदाबाद तथा राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा सोसायटी, मानेसर बिजली की भरपूर आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे। इस लाईन में से कैम्पस में स्थित आवासों की आपूर्तियां भी की जा रही थी लेकिन आवासों के लिए अलग मीटर प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे। संस्थाएं इस आवासों से ₹ 150 तथा ₹ 1000 के बीच श्रृंखलित निश्चित राशि प्रभारित कर रहे थे। बिजली बिल स्वपत के अनुसार प्रभारित किए जाने चाहिए। चूंकि शेष बिल सरकारी निधियों से भुगतान किया जा रहा था, राज्य राजकोष पर 86 प्रतिशत की सीमा तक भार था। 2007-12 के दौरान सरकार तथा आवासों द्वारा भुगतान की गई राशि की स्थिति तालिका 21 में दिए अनुसार थी।

तालिका 21: 2007 - 12 के दौरान सरकार तथा निवासियों द्वारा भुगतान की गई राशि की स्थिति

(₹ लाख में)

संस्था का नाम	कुल बिल	संस्था द्वारा भुगतान किए गए	आवासों द्वारा भुगतान किए गए
राजकीय महिला बहुतकनीकी, फरीदाबाद	84.74	79.72	5.02
राजकीय बहुतकनीकी शैक्षणिक सोसायटी, मानेसर	78.11	68.09	10.02
सी.आर. पोलिटैक्नीक, रोहतक	59.40	42.47	16.93
कुल	222.25	190.28	31.97

संबंधित बहुतकनीकियों के प्रिंसीपलों को सरकार को हानि से बचाने के लिए उपभोक्ताओं के लिए अलग मीटर प्रतिष्ठापित करवाने चाहिए।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि राजकीय महिला बहुतकनीकी, फरीदाबाद में मीटर प्रतिष्ठापित कर दिए गए थे तथा अन्य सभी संस्थाओं को उनकी खपत के अनुसार बिल प्रभारित करने हेतु आदेश दिए जा रहे हैं।

5.1.12.2 विद्यार्थियों को प्रतिभूति रिफंड न करना

प्रवेश के समय विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित दरों पर प्रतिभूति जमा करवाया जाना अपेक्षित था जो उनकी स्टडी पूरा होने के बाद उनको रिफंड योग्य थी। यह देखा गया कि किसी भी संस्था ने विद्यार्थियों को, संस्था छोड़ते समय प्रतिभूति रिफंड करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। चूंकि विद्यार्थी दूर स्थानों से भी प्रवेश लेते हैं, उनके लिए यह व्यवहार्य नहीं था कि वे बार-बार प्रतिभूति जमा के रिफंड के लिए आए। जिसके परिणामस्वरूप यह नॉन-रिफंडिड ही रही। ₹ 1.13 करोड़ की राशि मार्च 2012 को नमूना-जांच की गई संस्थाओं में (परिशिष्ट 5.9) में भुगतान न की गई पड़ी थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने डी.जी. को प्रणाली सुचारू ढंग से चलाने के आदेश दिए ताकि विद्यार्थियों की प्रतिभूति, संस्थान छोड़ते समय उनको रिफंड कर दी जाए।

5.1.12.3 विद्यार्थियों द्वारा लाइब्रेरी पुस्तकों का न लौटाना

संस्थाओं में विद्यार्थियों को लाइब्रेरी सुविधा प्रदान की गई थी। विद्यार्थियों द्वारा, एक निर्धारित अवधि के बाद किताबें लाइब्रेरी वापस लौटाना अपेक्षित था। किताबें गुम होने के मामले में, उनको किताबों की पूरी लागत जमा करवाना अपेक्षित था। नमूना-जांच की गई पांच संस्थाओं में यह देखा गया था कि विद्यार्थियों ने ₹ 5.47 लाख (परिशिष्ट 5.10) कीमत की किताबें नहीं लौटाई थी, यद्यपि वे संस्थाएं छोड़ चुके थे। यद्यपि, विद्यार्थियों द्वारा संस्थान छोड़ने से पहले 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' प्राप्त करना अपेक्षित था, फिर भी संस्थाओं द्वारा किताबों की वापसी पर जोर नहीं दिया गया था। इस प्रकार, विद्यार्थियों से लाइब्रेरी किताबें वापस लेने के लिए कोई सही नियंत्रण नहीं रखा गया था।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकारते समय पी.एस. ने बताया कि राशि पोलटैक्निकों के पास पड़ी विद्यार्थियों की प्रतिभूति से समायोजित कर ली जाएगी।

5.1.13 मूलभूत संरचना की उपयुक्तता

5.1.13.1 कक्षा कमरों की कमी

शिक्षा प्रदान करने के लिए क्लास रूप मूल आवश्यकता है। अनुपयुक्त क्लास रूम प्रत्यक्षतः विद्यार्थियों के अध्ययन को प्रभावित करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि तालिका 22 में दिए गए विवरणों के अनुसार नमूना-जांच की गई संस्थाओं में कक्षा कमरों की कमी थी।

तालिका 22: क्लास रूम की कमी दर्शाने वाले विवरण

संस्था का नाम	अपेक्षित	उपलब्ध	कमी	प्रतिशतता
अजजर	45	40	5	11
नीलोखेड़ी	29	27	2	7
लोहारू	15	8	7	47
मानेसर	24	20	4	17

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय पी.एस. ने बताया कि संस्थाओं में अतिविक्रित कमरे प्रदान करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे।

5.1.13.2 अपर्याप्त छात्रावास जगह

विद्यार्थियों के लिए छात्रावास महत्वपूर्ण सुविधा है। विद्यार्थियों को जगह प्रदान करने के लिए सभी नमूना-जांच की गई सभी संस्थाओं में (नरवाना को छोड़कर) छात्रावासों का निर्माण किया गया था। यह देखा गया था कि (जून 2012) कि नमूना-जांच की गई आठ संस्थाओं में वर्ष 2007-12 (परिशिष्ट 5.11) के दौरान 1,846 छात्रावासियों की औसत भर्ती क्षमता के विरुद्ध छात्रावासियों की औसत संख्या 1,977 थी। सर्वाधिक भीड़ वाले छात्रावास राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी तथा राजकीय महिला बहुतकनीकी, फरीदाबाद के थे। यह भी देखा गया कि राजकीय बहुतकनीक शैक्षिक सोसाइटी, मानेसर में केवल प्रथम वर्ष विद्यार्थियों को होस्टल दिए गए थे। दूसरे वर्ष से आगे पढ़ रहे विद्यार्थियों को सुविधा मना कर दी गई।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि नए छात्रावास निर्माणाधीन थे तथा स्थिति निकट भविष्य में सुधरने वाली थी। ज्यादा विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिए समायोजन किए जा रहे हैं ताकि बाहरी विद्यार्थी बाहर रहने के लिए मजबूर न हों।

5.1.14 मानीटरिंग तथा मूल्यांकन

5.1.14.1 आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण लागू नियमों तथा विनियमनों के अनुपालन के बारे में प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है। विभाग में आंतरिक नियंत्रण स्कीमों के कार्यान्वयन, निर्माण कार्यों की मानीटरिंग आदि के लिए अपर्याप्त था, जैसे कि आगे अनुच्छेदों में चर्चित है।

5.1.14.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

कार्य की ओवरआल गुणवत्ता सुधारने तथा गलतियां/अनियमितताएं कम करने के विचार से सभी सरकारी विभागों में एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा (जून 2012) कि विभाग में कोई समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था। कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल भी नहीं था। आन्तरिक लेखापरीक्षा की बृहद् लम्बनता थी जैसा कि तालिका 23 में चित्रित किया गया है।

तालिका 23: आंतरिक लेखापरीक्षा की लम्बनता दर्शाने वाले विवरण

वर्ष	योजना की गई	लेखापरीक्षित	लम्बनता (प्रतिशतता में)
			(इकाईयों की संख्या)
2007-08	26	8	18 (69)
2008-09	27	9	18 (67)
2009-10	29	12	17 (59)
2010-11	29	20	9 (31)
2011-12	29	4	25 (86)
कुल	140	53	

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

मार्च 2012 को, 29 संस्थाओं के विरुद्ध आंतरिक लेखापरीक्षा के 466¹³ अनुच्छेद बकाया थे। 1999-2000 से अनुच्छेद लंबित थे, ये दिवाते हुए कि संस्थाएं लेखापरीक्षा आपत्ति को गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही थी। इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विभाग में प्रभावी नहीं थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को और ज्यादा स्टाफ का अनुरोध करके मजबूत किया जा रहा है।

5.1.14.3 प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार न करना

विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभाग की गतिविधियां दर्शाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार किया जाना तथा इसे सरकार को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। यह देखा गया कि विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट केवल 2008-09 तक तैयार की गई थी। रिपोर्ट की अनुपस्थिति में 2008-09 के बाद विभाग की गतिविधियों/निष्पादन को सार्वजनिक नहीं किया जा सका। डी.जी. ने बताया (दिसंबर 2012) कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जा रही है तथा 2010-11 के

¹³ 10 वर्ष से ज्यादा पुराने: 11, 5 वर्ष से ज्यादा: 39, 3 वर्ष से ज्यादा पुराने: 55, एक वर्ष से ज्यादा पुराने: 344, एक वर्ष से कम पुराने: 17

लिए, डाटा क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित किया जा रहा है। प्रशासनिक रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं की गई थी (दिसंबर 2012)।

5.1.14.4 मानीटरिंग

डी.जी., विभागाध्यक्ष के रूप में, विभाग के कार्यक्रमों, स्कीमों तथा अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए जिम्मेदार था। मासिक व्यय रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण को छोड़कर विभाग द्वारा विभाग की गतिविधियों को मानीटर करने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित नहीं की गई थी। मानीटरिंग के लिए स्कीमों तथा प्रोग्रामों का कोई केन्द्रीयकृत डाटा आधार नहीं था परिणाम कि संस्थाओं के पास भारी निधियां अव्यतीत रही। कार्यों का निर्माण भी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा विलंबित किया गया था।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, पी.एस. ने बताया कि प्रगति की समीक्षा के लिए बैठकें मुख्यमंत्री स्तर सहित प्रत्येक स्तर पर समय-समय पर आयोजित की गई थी तथा आवश्यक फीडबैक दिया गया था।

5.1.14.5 विद्यार्थियों द्वारा निष्पादन मूल्यांकन

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, संस्थाओं के स्टाफ की उपस्थिति में प्रश्नावली पद्धति द्वारा नमूना-जांच की गई संस्थाओं के 205 विद्यार्थियों से फीडबैक प्राप्त किया गया था। सैम्पल साइज में 135 लड़के तथा 70 लड़कियां शामिल किए गए। विद्यार्थियों को निम्न, औसत, अच्छी, बहुत अच्छी तथा उत्तम के रूप में उनको दी गई सुविधाओं के बारे में रेटिंग देने के लिए कहा। डाटा के संचयन ने प्रकट किया जैसा तालिका 24 में दर्शाया गया है।

तालिका 24: डाटा के संचयन दर्शाने वाली विवरणी

गतिविधियां	विद्यार्थियों की संख्या						
	निम्न	औसत	अच्छी	बहुत अच्छी	उत्तम	कोई तर्क नहीं	कुल
फैकल्टी निष्पादन	10	16	91	40	48		205
भोजन गुणवत्ता	15	51	41	24	5	69	205
पेय जल	21	38	50	72	24		205
बाथरूम	31	34	59	35	14	32	205
टायलेट	39	43	67	39	14	3	205
छात्रावास रख-रखाव	7	21	31	35	11	100	205
लाइब्रेरी सुविधा	18	25	60	60	38	4	205
लैब सुविधा	23	48	61	38	25	10	205
आवृत किया सिलेबस	4	36	47	59	55	4	205
पाठ्यक्रम विषय सूची	8	17	52	68	43	17	205
प्रशासनिक स्टाफ व्यवहार	5	16	48	57	76	3	205
कम्प्यूटर सुविधा	45	28	59	47	24	2	205
कुल	226	373	666	574	377	244	2460

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, विद्यार्थियों ने मुख्यतः नीचे उल्लिखित सुविधाओं को निम्न या औसत रेट दी क्योंकि वे सुविधाओं से संतुष्ट नहीं थे।

- कम्प्यूटर सुविधाएं: 36 प्रतिशत विद्यार्थी।
- लैबोरेट्री सुविधाएं: 35 प्रतिशत विद्यार्थी।

- दिए गए भोजन की गुणवत्ता 32 प्रतिशत विद्यार्थी।
- बाथरूम सुविधाएं: 32 प्रतिशत विद्यार्थी।
- पीने का पानी: 29 प्रतिशत विद्यार्थी।
- लाइब्रेरी: 21 प्रतिशत विद्यार्थी।

पूर्णरूप से लगभग 50 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सुविधाओं को अच्छी या बहुत अच्छी श्रेणी में रखा, 15 प्रतिशत ने उत्तम श्रेणी में रखा, 15 प्रतिशत ने उत्तम श्रेणी में रखा जबकि 35 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सुविधाओं को निम्न या औसत श्रेणी में रखा। इस प्रकार, विद्यार्थियों को प्रदान की गई उपर्युक्त सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय पी.एस. ने डी.जी. को तुरंत पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु आदेश दिए ताकि विद्यार्थी अपने अध्ययन के लिए बेहतर वातावरण प्राप्त कर सकें।

5.1.15 हरियाणा राज्य काउंसिलिंग सोसायटी तथा तकनीकी शिक्षा हरियाणा बोर्ड का कार्यचालन

5.1.15.1 हरियाणा राज्य काउंसिलिंग सोसायटी

सोसायटी मुख्यतः, बहुतकनीकी तथा इंजीनियरिंग कालेजों हेतु विद्यार्थियों के प्रवेश तथा काउंसिलिंग सुचारू रूप से आयोजित करने के प्रयोजन हेतु, वर्ष 2007 में बनाई गई थी। सोसायटी के संविधान के अनुसार अतिरिक्त निधियां छात्रवृत्तियां देने तथा दूसरी विद्यार्थी हितकारी गतिविधियों में प्रयुक्त की जानी थी। सोसायटी स्वपोषित थी तथा प्रवेश परीक्षा तथा काउंसिलिंग के संचालन के लिए एकत्रित फीस की सहायता से कार्य कर रही थी जो पहले सरकार को जमा की जा रही थी। तुलनपत्र के अनुसार सोसायटी के निर्माण के बाद किए गए व्यय तथा निधियों की स्थिति तालिका 25 में दिए गए अनुसार थी।

तालिका 25: प्राप्त निधियों तथा व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्त निधियां	उपलब्ध कुल निधियां	उपगत व्यय	वर्ष की समाप्ति पर शेष
2007-08	शून्य	16.86	16.86	10.73	6.13
2008-09	6.13	77.25	83.38	80.16	3.22
2009-10	3.22	59.95	63.17	57.53	5.64
2010-11	5.64	10.76	16.40	8.19	8.21
2011-12	8.21	9.77	17.98	6.00	11.98
कुल		174.59		162.61	

सोसाइटी की बैलेंसशीट की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 12.72 करोड़ की राशि के सहायता अनुदान चार संस्थाओं को निर्मुक्त किए गए थे। तालिका 26 में दिए गए विवरण के अनुसार, इसमें से ₹ 5.26 करोड़ संस्थाओं के पास अव्ययित पड़ा था।

तालिका 26: अव्ययित निधियों की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	संस्था का नाम	प्रयोजन	दी गई राशि	मार्च 2012 तक व्यय	शेष
2007-08	जी.पी. नीलोखेड़ी	छात्रवृत्तिया	6.34	6.00	0.34
2008-09	जी.पी.डब्ल्यू फरीदाबाद	मुफ्त किताबें तथा अध्ययन सामग्री	3.00	0.71	2.29
2008-09	जी.पी. अंबाला	आई.एस.ओ. ग्रेडिंग	1.08	0.13	0.95
2008-09	जी.पी.डब्ल्यू अंबाला	व्यक्तित्व विकास तथा संवाद कौशल	2.30	0.62	1.68
		कुल	12.72	7.46	5.26

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान पी.एस. ने बताया कि संस्थाओं के पास अवितरित पड़ी सभी निधियां को वापस ले ली जाएंगी यदि उनके द्वारा निधियां अपेक्षित नहीं थीं।

5.1.15.2 वित्तीय अनियमितताएं

- फर्नीचर की मालसूची तैयार न करना

सोसाइटी ने 2008-12 के दौरान नए फर्नीचर की खरीद पर ₹ 1.16¹⁴ करोड़ के व्यय किए गए। यह फर्नीचर समग्र विभाग के लिए खरीदा गया था। यह भी देखा गया कि फर्नीचर की माल-सूची तैयार नहीं की गई थी। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान पी.एस. ने तथ्य स्वीकार किया तथा संबंधित स्टाफ को मालसूची शीघ्र तैयार करने हेतु आदेश दिए।

- शिक्षण सामग्री का अनियमित क्रय

लाइब्रेरी के लिए किताबों के क्रय के लिए प्रैस विज्ञापन के माध्यम से दिसंबर 2008 में रूचि की अभिव्यक्ति (इ.ओ.आई.) आमंत्रित की गई थी। इस विज्ञापन के विरुद्ध, 33 प्रतिशत तक की छूट देते हुए विभिन्न प्रकाशनों की किताबों के लिए 9 फर्मों ने अपनी दरें उद्धृत की तथा दो फर्मों (उनमें से एक मैसर्स तथास्तु सर्विसीज अंबाला कैंट था) ने 20 प्रतिशत के छूट का ऑफर देते हुए शिक्षण सामग्री के लिए दरें उद्धृत की यद्यपि विभाग ने शिक्षण सामग्री के लिए इ.ओ.आई. आमंत्रित नहीं किए थे। ई.ओ.आई. के आधार पर डी. जी. ने लाइब्रेरी के लिए किताबों की आपूर्ति के लिए 5 आपूर्तिकरताओं के नाम सूची में लिखे।

¹⁴ 2008-09: ₹ 1.05 करोड़, 2009-10: ₹ 0.10 करोड़ तथा 2011-12: ₹ 0.01 करोड़।

लाइब्रेरी किताबों हेतु सूची को फाइनल करने के बाद, विभाग ने शिक्षण सामग्री के लिए नए ई.ओ.आई. आमंत्रित किए बिना ₹ 750 प्रति सेट घटा की दर पर बहुतकनीकियों 20 प्रतिशत छूट (सरकारी तथा प्राइवेट) को शिक्षण सामग्री के 14,905 सैट्स की आपूर्ति के लिए मैसर्स तथास्तु सर्विसज, अंबाला कैंट को आपूर्ति आदेश दिया। शिक्षण सामग्री की खरीद पर ₹ 0.71 करोड़ का कुल व्यय किया गया।

विभिन्न संस्थाओं से पूछताछ करने पर, 10 संस्थाओं ने सूचित किया कि, उनको आपूर्ति 3,657 सैटों में से, 2,960 सैट्स सिलेबस में परिवर्तन तथा सामग्री की औसत गुणवत्ता जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं थी, के कारण उनके पास अवितरित पड़े थे (*परिशिष्ट 5.12*)। आगे, सामग्री का मूल्य सामग्री पर अंकित नहीं था जिसकी अनुपस्थिति में विभाग द्वारा ₹ 750 के मूल्य का आधार सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, शिक्षण की खरीद कोटेशनज आमंत्रित किए बिना तथा प्रतियोगी दरें रखे बिना की गई थी। आगे, सामग्री की उपयोगिता तथा मांग सही ढंग से निर्धारित नहीं की गई थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान पी.एस. ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

- **सोसायटी की लेखापरीक्षा न करवाना**

सोसायटी के एसोशिएशन ऑफ मेमोरेंडम के पैरा 19.2 के अनुसार, सोसायटी की लेखापरीक्षा रजिस्ट्रार, कापरेटिव सोसायटीज (आर.सी.एस.) को सौंपा गया था। यह देखा गया कि आर.सी.एस. द्वारा सोसायटी का लेखापरीक्षा नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि आर.सी.एस. ने सोसायटी का लेखापरीक्षा करने से मना कर दिया। इसीलिए, सोसायटी के गवर्नर बोर्ड ने निर्णय लिया (फरवरी 2011) कि सोसायटी का लेखापरीक्षा तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशालय की आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टी से करवाया जाएगा। तथापि, सोसायटी की लेखापरीक्षा अभी तक नहीं किया था (नवंबर 2012)।

5.1.15.3 हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड

डिप्लोमा कोर्सों के संबंध में, परीक्षा तथा परिणाम आदि से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा राज्य की विधायिका के अधिनियम संख्या 19 के अंतर्गत वर्ष 2008 में हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (बोर्ड) बनाया गया था। बोर्ड के बनने से पहले राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, के भाग के रूप में काम कर रहा था।

बोर्ड की वित्तीय स्थिति इसके आरंभ से तालिका 27 में वर्णित है।

तालिका 27: एच.एस.बी.टी.ई. की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्त निधियां	उपलब्ध कुल निधियां	किया गया व्यय	वर्ष की समाप्ति पर शेष
2008-09	-nil-	5.70	5.70	4.47	1.23
2009-10	1.23	9.35	10.58	8.86	1.72
2010-11	1.72	13.61	15.33	8.13	7.20
2011-12	7.20	18.35	25.55	7.89	17.66
कुल		47.01		29.35	

• ₹ 0.61 करोड़ के फर्नीचर की मालसूची तैयार न करना

एच.एस.बी.टी.ई. ने 2008-09 में फर्नीचर की खरीद पर ₹ 0.61 करोड़ की राशि व्यय की। बैलेंसशीट के साथ संलग्न चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट के अनुसार एच.एस.बी.टी.ई. द्वारा फर्नीचर की मालसूची तैयार नहीं की गई थी। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने संबंधित स्टाफ को फर्नीचर की मालसूची तुरंत तैयार करने हेतु आदेश दिए।

5.1.16 निष्कर्ष

- विभाग ने, शिक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त मूलभूत संरचना सृजित की। तथापि, अध्यापन स्टाफ की कमी ने शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित की। इस प्रकार, विभाग की आयोजना प्रक्रिया अपर्याप्त थी।
- सरकारी लेखाओं से बाहर निधियों का रखना, आवश्यकता के आधिक्य में सहायता अनुदान की निम्नित, अस्थायी अग्रिमों के असमायोजन ने विभाग के वित्तीय प्रबंध को प्रभावित किया।
- नई बहुतकनीकियों के संस्थापन तथा एस.सी. छात्रावासों के निर्माण में विलंब, बुक बैंक सुविधा की अप्रदानगी ने स्कीमों की उपलब्धि की प्रक्रिया रोक दी।
- कोचिंग संस्थान के गलत चयन के परिणामस्वरूप कार्यक्रम बीच में समाप्त हो गया। सही प्रक्रिया अनुसरित किए बिना संस्थान को ₹ 15.88 करोड़ का भुगतान किया गया। विभाग द्वारा अल्प मानीटरिंग ने अनेक चूकें सुसाधित की जिससे सर्विस प्रोवाइडर को लाभ हुआ।
- सरकारी बहुतकनीकियों में सुविधाओं की कमी थी।

5.1.17 अनुशंसाएं

सरकार विचार कर सकती है:

- परिमेय उद्देश्यों के साथ दीर्घ अवधि तथा लघु अवधि योजनाएं (वार्षिक कार्य योजना) विकसित करना;
- निधियों के अनावश्यक संचय के परिहार हेतु उनके पास उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखने के पश्चात् सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को सहायता अनुदान निर्मुक्त करना;
- बहुतकनीकी तथा छात्रावास भवनों की पूर्णता हेतु पी.डब्ल्यू.डी. के साथ सही ढंग से अनुसरण करना;
- लक्षित लाभग्राहियों के लाभ हेतु स्कीमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना; तथा
- स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मानीटरिंग यंत्रावली सुदृढ़ करना।

चण्डीगढ़
दिनांक:

(ओंकार नाथ)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(विनोद राय)
भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक